

namaskar

Affordable Schooling, Commendable Learning

VOLUME 3 / ISSUE 1




Policy challenges of
Budget Private Schools p6

Education in India
deserves a Jio revolution p16

Government interference in
fee hike will not solve the problem p18

Call for Entries



EduDoc

STORIES OF EDUCATION

INTERNATIONAL SHORT FILM COMPETITION

Centre for Civil Society is proud to announce the return of its' flagship media event "EduDoc: Stories of Education" in an effort to rekindle the celebration of education. The 2017 edition has a central overarching theme of "Education: Challenges, Innovations, Celebrations", and is open to all.

EduDoc 2017 aims to transcend geographical and language barriers by providing a platform to help bring into the limelight, educationists and edupreneurs, whose innovative ideas nurture education. Significant contributions often remain in the shadows and to correct this, we'd like to provide the center stage to those who, despite limited resources, are facilitating and shaping the upcoming generation of leaders.

THEME Education: Challenges, Innovations, Celebrations

DURATION 05:00 minutes or less (including credits)

LANGUAGE Any (English subtitles mandatory for non-English films)

NO. OF SUBMISSIONS PER FILMMAKER Unlimited

FREE ENTRY

**APPLICATION
DEADLINE
15 Sept 2017**

www.jeevika.org/edudoc-2017

For queries, contact:

+91-11-2653 7456; ext 43 | +91-88003 44700 | jeevika@ccs.in

An initiative of



CENTRE FOR CIVIL SOCIETY
Social Change Through Public Policy

In collaboration with



Supported by



Hindi social media partner





National Independent Schools Alliance

National Independent Schools Alliance (NISA) is the unified voice of budget private schools (BPS) in India, that aim at improving access to affordable and quality education for the economically weaker students.

20 States, 24 Associations'

55,000+ Schools, 22,00,00,000+

Students

Become a member today! Join NISA

[f /nisaindia.org](https://www.facebook.com/nisaindia.org) [/nisaedu](https://www.instagram.com/nisaedu) [YouTube /ccsiandiatv](https://www.youtube.com/channel/UCcSiandiatv)

EDITOR

Avinash Chandra

EDITORIAL BOARD

Kulbhushan Sharma

Rajesh Malhotra

Amit Chandra

D. Shashi Kumar

S. Madhusudan

Mohammed Anwar

CONTENT CO-ORDINATOR

Thomas Antony

LEGAL CONTENT ADVISOR

Ad. Prashant Narang

SOCIAL MEDIA TEAM

Amit Chandra

Thomas Antony

One Year Subscription:

INR 500 Cheques/drafts in favour of NISA

Education

EDITORIAL OFFICE


A-69, Hauz Khas, New Delhi-110016, India

Tel: 011 2653 7456

website: www.nisaindia.org

For sales, subscription, advertisement &
any other query,
Contact: nisa@ccs.in

CONTENTS



Editor's Desk

04 Right to education Vs Right to quality education

AVINASH CHANDRA

05 From NISA Secretariat

S R THOMAS ANTONY

Editor's Pick

06 Policy challenges of Budget Private Schools

KULBHUSHAN SHARMA AND AMIT CHANDRA

10 'Good intention' is not enough for 'good education'

OMESH MEENA

NISA Communique

13 State Meetings & Advocacy Meetings

15 Media

Education

16 Education in India deserve a Jio revolution!

NITESH ANAND

18 Government interference in fee hike will not solve the problem

AVINASH CHANDRA

Legal Update

20 The mathematics of land norms

AD. PRASHANT NARANG

Education Technology

22 Becoming a Teacher's best friend – Story of LEAD School Solution

SUMEET YASHPAL MEHTA

25 Ask your Lawyer



AVINASH CHANDRA


Editor, www.azadi.me

Right to education Vs Right to quality education

According to the media reports quoting the Directorate of Education of Delhi, during the academic session 2017-18, a total of 1,13,991 applications were received for the nursery classes filing under the EWS category. After the lottery/draw process by the Directorate in the past, the first list was released for the total available 31,653 seats. A state of chaos exists for the parents of 82,338 students who wish to get their wards enrolled in private schools. They have no clue as for how their children will get admission. Some optimistic parents are still hopeful that the names of their children may be listed in the second list as some of the students of the first list might not take admission or they cannot get admission on account of incomplete documentation consequently a second list will be issued. Although this situation is similar to the chattering of cat's fate, and it will allow only a few thousand children to get admission. Despite this, approximately 80 thousand students will be denied admission to private schools of their choice. These students also have a large number of children whose names were not even on the list released last year. Since the process of admission under general category has almost come to an end, in such a situation, the only option left is a government school. It clearly means that notwithstanding all the efforts, people have not been attracted towards Government schools but due to non-availability of options parents have to be forced to enrol there. But if the government wants, a small change in the policy can lead to quality education and hence the students and parents who dream of enrolling in private schools can get

relief. For example, there is a scarcity of such accredited schools in Delhi where under the RTE, the government can get free admission to the children of the poor, whereas in large cases there are schools which are not recognized due to "faulty policy" and the government cannot give reimbursement in lieu of enrolment there.

If the government improves its faulty policies, in which the primary mandate is possessing the land of a certain size, then about three thousand new schools will come into existence at once. In fact, to get the recognition of schools up to Class 5th in Delhi, about 320 square yards of land is required, whereas schools in the middle of the 8th standard requisite 700 sq. Meters i.e. that is about 840 square yards. In a city like Delhi where there is an enormous scarcity of land, it is extremely difficult to arrange such large chunks of land for budget schools. In such a situation, the government can recognise schools on the basis of 'floor'. That means if the 'second floor' is made in schools built on 400 square yards, then it should be recognised as equivalent to 800 square yards. Or a 'broken recognition' or fragmented recognition can also be provided. For example, schools should be allowed to run in two shifts where sessions can be run in classes 5 to 6 and class 6 to 8 in the first shift. This can fulfil the dream of students wishing to enrol in private schools in large numbers. Apart from this, due to the recognition, the unsanctioned schools will be included in the mainstream and the students of these schools can also be linked to government schemes. In this way, the government will be able to give not only the right to education to its citizens but also provide the right to quality education.



NISA Namaskar and Greetings!

It's my great privilege to share some milestones that we achieved in this annual journey with the support of all the state associations and individual contributions. NISA has been advocating for better education policy for the country and in this last one year journey we have been successful in bringing few policy changes in favor of private schools. The research data about the hike in the enrollment in the private schools strongly supports the volunteer approach and parental choice towards the need of the better education and adopting the choice of Budget Private Schools.

Day by day government orders are circulated against the private schools, media doing continuous criticism against the private schools, even judicial statements are against to the private schools. Yet we all are continuing contribution to our struggle to ensure the good quality education to the maximum number of children who are studying in budget private schools.

- We have been successful in outreaching with 18 State Meetings across the country and advocate for the Budget Private Schools. These meetings helped to attain a status of credible organization and as a result states like Delhi, Haryana, Maharashtra government invited NISA to understand the education scenario of Budget Private Schools.
- The Education world ranked 25 Budget Private Schools from NISA network as a Best BPS school in India.
- The MHRD - NEP Committee has invited the NISA for the presentation for NEP drafting process.
- Mr. Kulbhushan Sharma, President NISA has become a member of state committee to review RTE reimbursement and Mr. G N Var has become a member of Government Private Schools Committee in Srinagar.

- Policy review committee has been formed by DISA, NISA and CCPS for work with Delhi Government.
- Delhi Government has adopted the idea of class room wise relaxation land norms for Delhi private schools.
- Organized a dedicated meeting with Delhi Budget Private Schools along with Delhi Government on land relaxation norms.
- Haryana government has announced the Direct cash transfer mechanism.
- NISA Namaskar converted into a quarterly magazine. Quarterly editions published, both online & print version. Regular dissemination to all NISA members, 80 targeted MPs, all state education ministers and secretaries, MHRD, SCPCR, 20 journalists.
- Tamil Nadu Nursery Primary and Matric Higher Secondary Schools Association organized the Symposium: New Education Policy- The perspective of Budget Private Schools
- Delhi State conference and Press Conference with Shri. Manish Sisodia, Deputy Chief Minister of Delhi and Education Minister of Delhi: NISA Delhi State BPS conference, 250 Participants. Representatives from Goa, Punjab, Haryana, Maharashtra & Uttarakhand also participated.
- Telangana - Meeting with Bandaru Duttatryea on ESIC; , on Amendment to ESIC on retrospective date , Demand letter sent on the behalf of the NISA Similar letter shared by all NISA state members. Successfully the policy has been changed from retrospective to the prospective date.
- Meeting with State Education Minister: Shir. Vinod Tawde- Maharashtra, Shri. Ram Bilas Sharma- Haryana, Shri. Manish Sisodia- Delhi, Shri. Pandiarajan -Tamil Nadu and Shri. Mantri Prasad- Uttarakhand and introduced the NISA and also



S R THOMAS ANTONY

NISA Secretariat

the Policy challenges faced by Budget Private Schools.

- Per Child funding model has been adopted by Haryana Government. NISA advocacy influenced the CBSE to withdraw the order on Principal Recruitment.
- NISA Karnataka Chapter- KAMS challenged quantum of reimbursement. Initially, the Court directed the government to decide on the representation within six weeks (order attached herewith). Then, KAMS filed for contempt, to which the government recently decided to hike the reimbursement amount from 11.8k to 16k. A notification is issued and submitted to the High Court.



KULBHUSHAN SHARMA

Kulbhushan is President, Federation of Private Schools Association, Haryana. He is also President of National Independent Schools Alliance (NISA), State President of Patriotic Forum of India and State Working President of National Human Rights Protection Organisation. Previously, he has been general council member of the 'Rashtriya Madhyamik Shiksha Abhiyan' and member of the School Education Rules Review Committee.



AMIT CHANDRA

Amit heads policy advisory at Centre for Civil Society (CCS). He successfully led an advocacy campaign 'Jeevika: Law, Liberty & Livelihood' for recognition of street vending as a legitimate occupation in the urban space, which led to legislation formation in Rajasthan and Bihar.

Policy challenges of Budget Private Schools

In India, the government is constitutionally bound to provide elementary education to children in the age group of six to 14. Our education policy is designed in a manner that primarily focuses on providing education through schools operated by the government. Arguably, schools operated by non-government institutions only get secondary focus. Therefore, we observe the difference in policy approach toward government schools and private schools. The approach taken toward government schools is of support and facilitation. However, the approach taken towards private schools happens to be more of control and regulation. School infrastructure norms are one area where this regulatory inconsistency is more evident. For example, when a government school does not have a library, policy response is to build libraries in all those schools through public funds. However, when a private school does not have a library, the policy response is to mount pressure on school management to build that library within a stipulated time with a threat to derecognise the school. We must understand that budget private

schools (BPS) are community schools and part of the same eco-system where the students, parents and teachers live. The schools may not be significantly different from the ecosystem around it. Government adopts a supportive approach to build the capacity of government schools but adopts exactly the opposite approach for private schools with a heavy hand of regulation.

Private schools have always existed in India in small numbers and been largely confined to urban areas. However, BPS have evolved mainly in the last three decades and spread out to rural areas to provide quality education at affordable price. While BPS have come up and are catering to the needs of around 40 percent of school going children in the country, they have to operate under the same policy framework designed primarily for larger private schools and government schools. Compliance with regulatory norms has hence become a grave issue resulting in closure of thousands of schools across the country, or daily challenge of survival in case of those that are not yet closed down. Outlined in this essay are the major policy challenges faced by BPS.



Opening and running a school

In a country with the need of opening more and more schools, it is disappointing to know how difficult it is to open and run a school. A school, depending upon its location and standard (primary, secondary or senior secondary) requires 15 to 36 permissions (certificates, approvals and documents). It becomes even more difficult to run the schools as norms to comply change from time to time. According to a study by Centre for Civil Society (CCS) conducted in 2001, a minimum of 15 licenses and permissions are required to start a school. The only change since 2001 in the process of opening a school, which has happened in few states, is removal of the requirement for an 'Essentiality Certificate'.

Schools follow the rules and norms of the day during construction of school building and setting up other facilities. However, various authorities introduce new rules and norms to be followed with retrospective effect. It becomes very difficult to follow those norms, more so when it is related with infrastructure compliance. The government of Karnataka has decided that schools must have 1-1.5 acres land of open space as playground. Similarly, orders are issued requiring the school to have counsellor, psychologist, female support staff, courses in regional language, safety of school busses, installation of CCTV cameras etc. It becomes very difficult to comply and bear the cost of added provisions in the middle of the academic session. For example, the Labour Department in Telangana in its circular in December 2016 has asked schools to register all the teaching and non-teaching staffs below monthly salary of Rs 21,000 with a scheme of Employees State Insurance Corporation (ESIC) (based on the ESIC Act amendment of 2008) mandating schools to pay employer contribution since 2008. While the intent of such provisions may be commendable, it puts schools in a very difficult situation.

Infrastructure norms

One of the main challenges in current approach to regulation of school education is that it is highly input-driven i.e. focus of regulation is on infrastructure, teacher salaries, compliance with various norms laid down by the central and state governments etc. While these norms seem to be designed for elite private schools, BPS also have to follow the same norms which don't go with the ecosystem of these schools. For example, schools running up to class five require around 200 square yards of land in order to be recognised, while schools running up to class eight require around 800 square yards of land¹. Schools operating in unauthorised and slum areas either don't have enough land in their neighbourhood or don't have the capacity to buy land and therefore, mostly operate as unrecognised schools. Central Board of Secondary Education (CBSE) mandates land size of 1.5 acres in urban areas and three acres in rural areas for affiliation. This is one of the biggest hurdles for BPS due to which most operate only up to class eight.

Right to Education (RTE) Act 2009 also mandates that all schools be recognised or shut down. Heavy infrastructure norms and increased regulatory compliance has led to closure of thousands of schools across the country since inception of RTE. The penalty provision in RTE for schools that do not meet the norms and still operate is Rs 100,000 fine and further Rs 10,000 fine per day if they continue to operate still. According to media reports, around 7,000 schools in Maharashtra, 1,300 in Punjab, 786 in Karnataka and 1,200 in Delhi had received notice to shut down. Ministry of Human Resource Development has admitted to the closure of 2,173 schools in a written reply to a question asked in parliament. Many schools have also voluntarily closed down since they don't wish to take the risk of coming under allegation and having to pay the price for getting into noble cause. Even bigger numbers of

This essay outlines some of the major policy challenges faced by Budget Private Schools (BPS) in obtaining recognition, and goes on to show that most regulations are input based and do not focus on learning outcomes. The authors argue that input based regulations are unfair to BPS as these schools cater to poorer parents who cannot afford to comply by these norms, and therefore are forced to shut down.



When the attempt of closing schools in Punjab was challenged in the High Court of Punjab and Haryana in Chandigarh, the court laid down due process to be followed to close down the schools to safeguard children's right to access schools. The due process to be followed in the event of school closures is:

Instead of an omnibus order, the authorities must inform schools of particular reason(s) for closure and/or of the specific deficiencies that exist before they could be asked to close down. This means the authorities must physically inspect each school, record deficiencies on a case-to-case basis, and pass speaking orders.

Education Department must prepare a list of every child that will be affected and guarantee a seat in a neighbourhood school of their parents' choice by mentioning the school by name (not just a general assurance that there are enough seats in the schools in the area).

schools are going to be closed down in years to come unless steps are taken by government to relax infrastructure norms. Parents are choosing to pay fees and send their children to BPS instead of government schools, which come without any fee and added freebies.

The due process laid out by the High Court of Haryana and Punjab in the example above, ensuring the right to education of a child is not compromised, is also not being followed. In some instances, governments are attempting to close BPS to ensure enough enrolment into government schools in the neighbourhood.

Teacher qualification and salary

RTE Act 2009 mandates Bachelor of Education (B. Ed.) qualification as the eligibility criteria to become a teacher. Additionally, all teachers are required to clear Teachers' Eligibility Test (TET). However, state governments have not relaxed these norms, and made it mandatory for all teachers in private schools to clear TET within five years.

Firstly, India does not have such a huge number of trained teachers to replace the existing teachers. Secondly, BPS cannot afford the additional cost to pay for B. Ed. and TET qualified teachers.

Schools have also been asked to pay salary to teachers in accordance with contemporary pay commission guidelines. BPS are a low-cost solution to provide standard quality education with minimum fee to meet the paying capacity of low-income parents. Increased salary to teachers doesn't match with the socio-economic model these schools operate in. It leads to forcing schools to increase the fee, which does not match the paying capacity of parents to whom these schools cater.

Commercial charges and labour laws

On one hand, schools are meant to be

not-for-profit organisations, but on the other they are levied with charges and taxes at commercial rates on facilities and amenities such as electricity, water, property, land conversion etc. Government must clarify the status of non-government schooling service providers. Labour laws which were created keeping in mind the health of labourers working in hazardous industries, have now been extended to schools. This means provisioning for ESIC scheme, Employees' Provident Fund and gratuity. The provisions do not seem to be a big requirement but give way to the threat of 'Inspector Raj'.

Fee regulation

On one hand, there is increasing expectation of services and facilities from parents, and very strict and uncertain regulations of government to operate under; on the other hand, increase of school fee is usually considered as exorbitant. Tamil Nadu, Rajasthan, Karnataka, Maharashtra and Punjab have passed laws to regulate fee in private schools and in some cases even courts have asked for government to determine fee charged by private schools.

Around 90 percent of private schools in India fall under the BPS category which charge school fee lower than government per child expenditure on education; that too when government calculation of per child expenditure includes only recurrent expenditure whereas private school fee includes all the input cost with the heaviest burden of capital investment into land and building. There are only limited high fee charging schools, out of which only a few are occasionally found at fault regarding fee determination for any academic session, but the heavy hand of fee regulation comes strongly on BPS. The government even lacks the insight into this diversified sector to be able to determine the fee. What can be done is, looking into reasons of



increasing fee in cases where schools have raised more than 15 percent in any academic session and devising a solution accordingly.

Reservation of 25 percent seats under RTE Act 2009

Provision for reservation of 25 percent seats in private schools is designed for students of Economically Weaker Sections (EWS) & Disadvantaged Groups (DG) categories, whereas BPS largely caters to EWS category students only. As schools are designed to cater to the needs of low to middle-income groups based on their paying capacity, the quota for EWS category students in our schools doesn't make much sense. On-ground experience of implementation of Section (12)(1)(c) of RTE Act 2009 identifies serious gaps in execution:

- No clarity on entry level of admission as grade one or nursery
- Neighbourhood criteria with respect to government schools in the area
- Long period of admission process, as much as all year long in some cases
- Need to keep seats vacant, in case of no admission
- Provision of fee reimbursement to schools which is lower than government per child expenditure
- Long delays in fee reimbursement

- Parents from non-eligible income group getting their children admitted under EWS category based on fake income certificate
- Passing on responsibility of documentation, verification etc. to schools

The government should take up the role of provisioning for EWS category students and not get into providing it. The government should empower EWS category students with funds/scholarships to enable them to go to schools. Money should go directly to the children in advance.

Safety norms

Safety of students is of utmost concern to all. Yet, there should be some realistic, measurable and cost effective safety norms to be followed. At the same time, the norms must not be revised frequently without wider consultation of all stakeholders. In the past, state governments and courts have passed orders for building safety, fire safety, environmental safety, and safe transportation, without any consultation and hence, burdened schools with the cost of complying with these norms. The orders have gone to the extent of having psychologists, counsellors, CCTV camera in class and corridor, trained driver and conductor in bus, and many more. In one case, the Haryana High Court ordered schools to employ

bus conductors from the transgender community, to ensure safety from sexual harassment cases. While the provisions may be desirable, cost effectiveness factor must be kept in consideration. While passing the safety norm related orders, government must seriously consider the cost-benefit analysis and feasibility of implementation.

Lack of financial support

While there is huge expectation from schools to bring the best infrastructural, academic and sports facilities, there is no financial support available to bring investment into the sector. Existing financial institutions such as banks don't provide loans to start or expand schools, as the schools are not-for-profit organisations. With increased intervention by central and state governments into opening and day to day running of schools, and overall operation and management of schools, the sector has become more vulnerable to corrupt officials. Government should create a 'School Investment Corporation' to bring investment to the school education sector. A good model to replicate can be Punjab Education Foundation of Pakistan. Government should work toward making school education free from 'Inspector Raj' of bureaucracy. With integration of technology, scope of human intervention should be reduced.

'Good intention' is not enough for 'good education'



OMESH MEENA

(the author is an independent critic)

Commencing from the 'cognitive revolution' which started 70000 years ago, the 'Knowledge Journey' of human society has reached the significant times of scientific revolution, the industrial revolution, the information revolution, and today education have been the co-consort of this long human life. Although education has been a part of 'independent society' from the beginning but since the principle of 'state-nation' has emerged; in all countries, it has become a victim of the monopoly of the government system. Since quality education available in any country determines the quality of human resources there, there are few questions raised about the government's presence in the field of education. But the prominent liberal thinker and Nobel laureate Milton Friedman had called 'competitive education system' more competent than the government monopoly. Under this government monopoly, I will analyse the public quality education of public schools through 'Praja Foundation' through the white paper released on 'The State of Education in Public Schools in Delhi'.

What is the government's opinion about the key values of our country's education system and its policy is known

from the introduction on the website of Directorate of Education of Delhi Government. It reads - "Education has the key to economic development, social change, modernization and national integration. The objective of the National Policy on Education is to provide a comparable quality education to all students to a level. In order to improve its quality at all levels and to pay more attention to science and technology, this emphasises the need for a revolutionary change of education system. Directorate of Education is trying to implement this policy insistently.

Hardly anyone disagrees with the above-mentioned intentions of the education policy, but are only "good intentions" enough for good education? Is the current education system the key to modernization? Are the Government really aware of the quality of education? If the government is really doing a better job in the field of education, then the answer to these questions should not be seen in the 'objectives' of the policy, but in the 'implementation' and the 'outcome' of the policy. But the reports received from time to time raise questions on our 'education quality'.

In the PISA survey of OECD, two Indian states out of 74 participants stood

at 72 and 73rd position. The 'Impact Report' published every year unlocks the truth of quality of education provided in our rural India and indicates that option of 'public school' is rapidly changing to the 'private schools'. According to the report, from 2006 to 2013, enrolment in private schools in rural India have increased from 19% to 29%. In the joint report of FICCI and EY of March 2014, 40% of the total students of the country are enrolled in private schools. The Economic Survey 2015-16, published by the Ministry of Finance, Government of India on the declining nomination in this way, has expressed serious concern, and advocated not only to 'stop but also to turn back'.

Nevertheless, what are the reasons for the growing fascination towards private schools? According to the PROBE report published in 1999, the reason for parents giving preference to private schools is found to be weak 'responsibility chain' in government school system; While teachers are liable to children and their parents through 'school management' in private schools. Since many studies have found positive relations between investment in education and personal and social benefits gained from it. In Singhangari and Madeswaran's working papers, 'The Changing Rates of Return to Education in India: Evidence from NSS Data', nearly 10% of the benefits have been found on the basis of hundreds of studies around the world, as well as positive impact of school education in 'labor market' and 'income earning'. Therefore, especially the poor guardians are eager to send their children to private schools for better education. In view of all these questions, 'Praja Foundation' has issued a white paper on the 'education status of public schools in Delhi', which shows that not only in rural areas but also in cities like Delhi, questions are being raised about the quality of education system. In spite of heavy "public expenditure", higher rates of Drop Out and more than half of the children attending government

schools have raised issues such as expenditure on private tuition, parents' dissatisfaction with the quality of both education and teachers.

The most prominent scale of quality of school education is nominations, but between 2013-14 and 2014-15, about one lakh 50 thousand nominations have decreased in both the Municipal Corporation of Delhi and Delhi Government schools. If we look at the first-grade enrolment, there has been a reduction of around 45 thousand between 2010-11 and 2015-16. The decline in enrolment is clear indication that state schools are not able to attract children.

Even in the State Government schools, 0.7% of the students who were admitted in between 2013-14 and 2014-15, did not continue their studies in the next year of enrolment.

Dropouts have been a big problem for the Indian education system and it continues in Delhi. During the academic year 2015-16, the municipal corporation and government schools of Delhi have lost 1 lakh 45 thousand students, which are very worrying. In the East Delhi Municipal Corporation, the drop rate has been around 18%. A prodigious standard of education of the European Commission is 'successful and transition' where successful transition from primary education to higher secondary education are necessary. According to this scale in the year 2014-15, 45% students of class 9 could not make to class 10 and approximately 35% of class 11 could not make it to class 12. These are very disappointing figures because these students have reached the 'continuous and overall assessment' period. It should be concluded that they did not receive rated education in government schools.

The principal investor and shareholder of children's education are their parents, and therefore, their opinion of the 'school's educational quality' matters a lot. A survey conducted by the Praja Foundation for Hansa Research on the parents of children

In the PISA survey of OECD, two Indian states out of 74 participants stood at 72 and 73rd position. The 'Impact Report' published every year unlocks the truth of quality of education provided in our rural India and indicates that option of 'public school' is rapidly changing to the 'private schools'. According to the report, from 2006 to 2013, enrolment in private schools in rural India have increased from 19% to 29%.



studying in public school found out that 52% of parents also provide private tuition to their children. Even after spending 43 thousand on each child by the government, if they are in need of private tuition then there is undoubtedly the problem of not making meaningful utilization of public resources. The three main reasons cited by parents for being unhappy with a public school are less scope for better future, quality of education is not very good and teachers are not good. Here one feels the need of 'selection and competition' in the field of education, which can bring quality in education and establish the responsibilities of the teachers towards children and guardians. Anita Joshua has expressed the concern of Montek Singh Ahluwalia, the then Deputy Chairman of the Planning Commission on private tuition in primary articles in her article in THE HINDU on January 16, 2014, in the following words: "While the state should continue to invest in school education Should all go to government school? In this situation, suggestions

of the Centre for Civil Society on the voucher arrangements and low-cost community and budget schools can prove to be a better option, which are on the verge of the closure of RTE!

In this white paper, an astounding disclosure reveals the unresponsive and neglected attitude towards the education of our public representatives. In spite of being an important subject of public service, 31% councillor (April 2015 to March 2016) and 40% of the legislators (Monsoon and Winter Session 2015) did not ask any questions related to education whereas only one question was asked on Drop Out.

This white paper of Praja Foundation will undoubtedly increase the demand for better accountability and transparency in the public education system of Delhi Government and Delhi Municipal Corporation and will insist on adding 'urgency to education' to budget planning so that the public resources are efficient and beneficial to be used. Taking cognizance of the 'impact reports', 'The Economic Survey' of 2015-16 while expressing

concern over 'declining quality of education', has called the government for immediate action by immediate effect, similarly this white- Letter of Praja foundation should be taken in cognition by the Delhi Government and Delhi Municipal Corporation.

In spite of heavy government expenditure, parents spending on private tuition encourages 'unbelief in public services', so parental participation should be ensured in every aspect of education policy and an attempt should be made to establish 'School Management Committee' as a functioning and competent institution. Since the right to education is an integral part of the "right to life" in accordance with the Indian Constitution in such a situation weak or sub-standard education is the violation of basic rights of the citizens and it is the responsibility of the state that it should not only get away by only providing easy and affordable education but also should make the quality of education even more affordable and economic.



State Meetings

Press Conference of Budget Private Schools

Date: 30 January 2017

Venue: Press Club of India, New Delhi



National Independent Schools Alliance, Coordination Committee of Public Schools and Delhi Independent Schools Alliance organized a press conference to raise the problems and policy challenges faced by budget private schools. This was a second attempt to highlight and re-emphasise the issues after the first big meeting with Delhi Education Minister, Mr. Manish Sisodia who had promised some concrete measures last September 2016. Press Conference informed about the advocacy activities carried by the alliance. Time and again we have been raising our problems but no concrete step has been taken so far.

Maharashtra State Meeting on Child Safety

Date: 7 February 2017

Venue: Rabindra Auditorium, Dadar, Mumbai



NISA member, PUSMA Private Unaided Schools Management Association organized a state conference and awards ceremony named Child Safety Award for the best school drivers, Bus Assistants and School Transport managers. At this conference, 1000 of Private School bus drivers, principals and bus care takers were conferred with the Child Safety Award contribution in the education sector. NISA President, Mr Kulbhushan Sharma; NISA Policy Advisor Mr Amit Chandra and National Coordinator, Mr S R Thomas Antony also attended the conference.

Advocacy Meetings

Meeting with Secretary Education, Maharashtra Mr. Nand Kumar

Date: 13 February 2017

Venue: Secretariat, Mumbai



NISA members had a meeting with Mr. Nand Kumar, Secretary Education, Maharashtra. NISA Members and PUSMA Members discussed about the Education Minister Mr. Vinod Tawde commitment for implementing the school voucher model in Maharashtra. Delegation Submitted the New Education Policy documents, policy challenges faced by the Budget Private Schools. Members explained the importance of the need of the policy changes to have a good quality education in our country. Discussion was also about the idea of the school voucher model, and how it can bring the change in the education system. Mr. Luis Miranda, Mr. Kulbhushan Sharma, Mr. Bharat Malik, Mr. Amit Chandra, Mr. Harjinder Singh, Mr. Avinash Chandra and Mr. Thomas Antony were part of this meeting.

Jammu and Kashmir Inter State Conference

Date: 19 January 2017

Venue: J & K Public School, Jammu



One day inter- state conference of Private Schools was held on 19th January 2017. The conference was presided over by Kamal Gupta, President J & K PSA and attended by NISA president Kulbhushan Sharma, Thomas Antony (Advocacy Coordinator NISA), G N Var(President Joint Action Committee, Srinagar) and all District heads. The conference highlighted charter of demands, which include; one time recognition to for private schools, infrastructure required for running private schools as per SSA & RMSA norms, upper limit of fee should be fixed by the government, exempting private schools from commercial laws, labour laws, ensure single window clearance system.

Assam State Conference

Date: 24 January 2017

Venue: Guwahati Film Institute, Assam



NISA State Chapter Byktigata Vidyalaya Samannayrakshee organized the State Conference on the challenges faced by Affordable Private Schools in Assam. A daylong conference discussed various challenges faced by the affordable schools in Assam. Also the conference discussed the strategy to strengthen the association by creating the decentralized structure of schools association. NISA team of President Mr.Kulbhushan and Advisor Mr.A S Mahajan and National Coordinator Mr.Thomas attended the conference.

Haryana Protest Against Anti Education Policies

Date: 26 March 2017

Venue: Kaithal, Harayana



NISA State Chapter Haryana Private Schools Welfare Association organized the State level protest at Kaithal District, Haryana. The protest followed with a large gathering of school owners raised their voice against the anti education policies. The federation demanded for the policy change for 134A admission provision, Property tax for private schools, Bus passing up gradation.

Meeting with Secretary Education, MHRD Mr. Anil Swarup

Date: 5 January 2017

Venue: Shastri Bhawan, New Delhi



NISA members had a meeting with Mr.Anil Swarup, Secretary Education-MHRD. NISA Members and discussed about the challenges faced by the Budget Private Schools across the country and submitted the charter of demands for better education policy.

हरियाणा समाज

स्टूडेंट्स को टेंशन, कैसे देंगे हजारों रुपए फीस!

■ एडिनाल्स रीफ सेरेटरी बैंक दस से 'अजय समाज' की विशेष काउन्सिलर, रवि वर्मा 2016 से पहले प्रेस में पद है स्टूडेंट्स, तो इस मामले की कार्रवाई जांच, उन स्टूडेंट्स से पीएम की डिमांड नहीं की

देखायी जाये व उन्ही अधिकाधिक वर मुक्त मान की थीम
एकसमान जल आपूर्ति के लिए सबसे कमजोर मुक्त मान दिए
हैं। विशेषतः चारण एकाग्र व पानी देखायी देते हैं। कि
कमजोर जल दे है कि वह देखायी जाय जिसे अनुमति व देता
जाये होने से पानी की एकाग्रता बढ़ाया जाये हो।
कुलम सभी की मात्र को से किसे विचार देता मुक्त
2016 में एक उन्ही विचारण का है, जिसे
अधिक विचार मुक्त व देखायी जाये पानी
जिसे देता अनुमति व देता है, वह मात्र मात्र

एडिजन्सल पीक सेक्टर पीक धरम स धरम

पेज्जरेजान प्रधान बुद्धिमत्पुण्य से सीधी बात

दिल्ली देहात के स्कूल प्रबंधकों में रोष

मासिक बैठक में एकजुट हुए स्कूल प्रबंधक, सिमोदिया से ज्ञान मिलेंगे

गैर सहायता प्राप्त स्कूल

नई दिल्ली | वरिष्ठ संवाददाता

पिस्तली के गैर सहायक प्रायः बजट निजी स्वाम्यो में हैं पिस्तली सरकार पर उनकी सम्पत्तियों के सम्बन्ध में प्रश्न प्रस्तुत हो गये हैं। सरकार के लिये ये सवाल उठते हैं सम्पत्तियों का जलद सम्बन्धन न होने पर धरने-प्रदर्शन और अशान्त का दरवाजा खटखटाने की चेतावनी दी है।

इन स्कूलों को अधिकृत भारतीय संस्था नेरान्त हाईवेमेंट स्कूलस अलगवास (निम्न) व कोऑर्डिनेशन कमेटी ऑफ पब्लिक स्कूलस (सीसीपीएस) के संयुक्त तत्वावधान में

सोनेहार को प्रेस करिशन अवरोधित की गई। कोऑर्डिनेशन कमेटी अर्द्ध-सकलक के चेयरमैन अहमद शर्मा ने कि निचले सलत सिस्तरन में अमृत मनीष सिस्तरिया ने घोषणा की। अजय सुकुर्वा की मान्यता प्रदान कर सिद्ध जमीन की अजय कर्मों की से को अक्षर बनना जाना। शर्मा ने क कि इस घोषणा के बाद से इस संघ कोई प्रवर्ति नहीं हुई है।

निम्न के राष्ट्रीय अभ्यास कुलपति
सर्व ने कहा कि आम आदमी पार्टी ने
सरकार के काम करने के सबसे आस
तौर तरीकों से हमारी आस बंधी थी
लेकिन अब वह आस टूटती दिख रही है।

समाधान के लिए गंभीर नहीं सरकार

विश्वी गुरुकुलों में भारतीय
सांस्कृतिक गुरुकुल की
वैशिष्ट्यता है। उन्होंने कहा
की वहाँ की गुरुकुल
गुरुकुल के विकास
विश्वीय के आधार
प्रदान करना वही है।
गुरुकुलों के विकास

नियम 134ए आय सवंधा जलाने देने वालों की खैर नहीं!

[illegible]

निजी स्कूल खटखटाएंगे अदालत का दरवाजा

नई दिल्ली। दिल्ली के अनएंडेड बजट प्राइवेट स्कूलों ने दिल्ली सरकार पर बजट प्राइवेट स्कूलों की समस्याओं के समाधान के प्रति गंभीर न होने का आरोप लगाया है। स्कूलों का कहना है कि सरकार ने उनके साथ वादाखिलाफी

बजट स्कूलों को ईएसआईसी एक्ट के तहत लाने विरोध

[illegible]

नौर समस्याओं के समाधान
ए उन्हें सिर्फ आश्वासन ही
नाराज स्कूलों ने समस्याओं
द समाधान न होने की दशा में
दर्शन करने और अदालत
गया खटखटाने की बात कई
नवार को प्रेस क्लब में दिल्ली
एडेड स्कूलों ने बजट स्कूलों
खेल आयोजन संस्थान ने
ट स

सहायता प्राप्त स्कूलों के कर्मियों को प्रोत्साहित करने के लिए शिक्षा विभाग के अधीन

अब शिक्षा में

मुख्यमंत्री ने दी संकूरी, हजारों कर्मचारियों का हक

परिणामों की जो-जो-बाद देखा गया सरकारी

जो शिक्षा में मुख्यमंत्री ने दी संकूरी, हजारों कर्मचारियों का हक

मुख्यमंत्री ने शिक्षा में दी संकूरी, हजारों कर्मचारियों का हक

मुख्यमंत्री ने शिक्षा में दी संकूरी, हजारों कर्मचारियों का हक

मुख्यमंत्री ने शिक्षा में दी संकूरी, हजारों कर्मचारियों का हक

मुख्यमंत्री ने शिक्षा में दी संकूरी, हजारों कर्मचारियों का हक

मुख्यमंत्री ने शिक्षा में दी संकूरी, हजारों कर्मचारियों का हक

संकेत: **सरकार न का वादा खिलाफी'**

Budget schools demand parity with elite institutes

new school. The catholics in the district have a private school. But he claims that the state and private schools are not doing a good job. He says he will start a new school in the district. He says he will start a new school in the district. He says he will start a new school in the district.

■ **प्रस, नई दिल्ली :** दिल्ली के अनाउटेड बजट प्लानेट स्कूलों ने दिल्ली सरकार पर बजट प्लानेट स्कूलों की समस्याओं के समाधान के लिए नई दिल्ली का

स्कूलों का कहना है कि सरकार ने उनके स्कूल कायदखिरापी की है और उन्हें निर्धक आरक्षण ही मिले है। समरथाओं के जल्द समाधान न होने पर आन्दोलन का दरका खटखटने की बात कही गई।

ਨਰਸਰੀ ਦਾਖਲੇ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਪ੍ਰਤੀ ਸਰਕਾਰ ਗੰਭੀਰ ਨਹੀਂ

The collage consists of several newspaper clippings. The top left clipping is from 'The New York Times' dated 1970, discussing the 'New York Times' and 'The New York Times'. The bottom left clipping is from 'The New York Times' dated 1970, discussing the 'New York Times' and 'The New York Times'. The bottom right clipping is from 'The New York Times' dated 1970, discussing the 'New York Times' and 'The New York Times'.

4



Education in India deserves a Jio revolution!

NITESH ANAND

Advocacy Associate, Centre for Civil Society

September 1, 2016; Reliance launches its telecommunication service “Jio”. It has free calling, and 4G internet data plans available for the customers. The whole of India rushes to join the

queue for getting the SIM of Reliance Jio. While I was travelling to different places in India, I found so many people including my friends always online and happily using the free 4G data

services. It has been more than six months now. Jio recently announced a basic capitation charge of INR 100/- per month on its services starting April 2017. I have been an Airtel customer

throughout my life and it was still strange for me to come in terms with the Jio tsunami. I was very much trying to keep my minds away from this and continue my loyalty to Airtel, though I was finding it a little unfair to pay a lot more comparatively. In January 2017, I got a new phone and I thought of switching to Jio, but before I could, Airtel came up with a plan on offer with all these required benefits at a much lower cost. I happily stayed with Airtel keeping my same number alive, that too at a much better cost. Throughout this, I was wondering what exactly I wanted as a customer. Better services, cost-effective performance topped my list. In fact, Jio, through market competition made it possible for me to get all this from Airtel. Even the government-run BSNL/MTNL followed the suit and lowered its prices and bettered its services. While all of this was being regulated and observed by another independent government authority, the Telecom Regulatory Authority of India (TRAI) to ensure no foul-play.

While in case of Indian Education system, here the government makes policies, regulations and frameworks at every level for all the stakeholders. The same department funds and finances it. And on top of that, the same officials are responsible for provision of education through government schools.

In India, the other large pool of providers, especially the low-cost Budget Private Schools, are regulated, assessed and managed by the government. Budget private schools are those where per pupil expenditure is comparatively lesser than the Government Schools in the same area. While the motive of improving learning outcomes for the children of the country the learning outcome have been there, the learning outcome level of private schools have been consistently higher than that of government schools. These Budget Private Schools are henceforth in direct

competition with Government schools. In India, more students are studying in Budget private Schools than in Government schools. According to ASER-2014 report, between 2010 and 2014 government school enrolment decreased by 6.2% whereas private schools enrolment increased by 6.5%. This has led to unnecessary turf battle at the cost of student and parent interest. Low-cost unaided private schools have emerged as an alternative to government schools, particularly for poorer parents in urban and rural areas. In bigger states like UP and Haryana, over 50% of children are enrolled in unaided private schools.

Additionally, the evaluation and assessment is done by the same government department. This is certainly not in proper spirits of fair competition. What are the choices for parents? Can't a better and fairly competitive education space ensure improved quality in overall learning outcome level of our children?

I would like to get the choice and with the separation of Government's role with a TRAI-like similar authority in Education space might propel a Jio to come and change the education space in India based on the principles of freedom of choice and competition which will bring the focus on the learning outcomes of the children. I want freedom and choice, and I'm sure you do the same. Separation of Government's role can easily be the first step towards this.

I, as a citizen of the country, demand the Education of Choice in India!



In India, more students are studying in Budget private Schools than in Government schools. According to ASER-2014 report, between 2010 and 2014 government school enrolment decreased by 6.2% whereas private schools enrolment increased by 6.5%.



What should the New Education Policy have?

- Separate Government's role as regulators, financiers and providers for education.
- Promote autonomy, not control.
- Third party assessment of all the providers.
- Present a level playing field.
- The focus to be on children's learning and parental choice.



Government interference in fee hike will not solve the problem

AVINASH CHANDRA

Editor, www.azadi.me

While deciding in a matter of raising the fees by private schools built on government land, the Supreme Court has said the government's permission is necessary for this subject matter. It cannot be denied that school fees are a big issue; Social as well as political issues. On one hand, school management tries to rationalize the cost increment, citing its expenditure, while the guardian and the government along with it call it arbitrariness of schools.

Parents want government to

intervene in school fees and get them rid of the arbitrariness of schools. Some NGOs and volunteer groups working in the field of education can also be seen pressurizing for government interference. However, there are different problems of government interference in the functioning of private schools. This intervention already exists in curriculum determination and the Government has already initiated initiatives to equalize teachers' salary to government teachers. It is a matter

of fact that due to opposition from schools, this impractical decision has not yet been complied with. But once the government intervened in fixing the fees, then government officials will be dominated by the teachers' salary and terms of service. Then it will be difficult for school management to take action against careless teachers. The sad state of the government schools across the country shows that the government interference in private schools will also bring the

same effects in private schools. The law of right to education is already resulted in jeopardy of the autonomy of private schools. School management is also on back foot since 25 percent of the poor children are enrolled in class according to age and relying on the government for reimbursement of the fees. With control of fees, this series will reach somewhere else. For government sector the control over private school is profitable deal. For them, another source of income will open and the possibility of return of Inspector Raj will increase.

In fact, on reason for the problem is the psychology of the parents that schools that have large buildings and that charge high fees yield better quality of education. While the truth is that there is no definite link between higher fees and good education.

Professor John McDermott of Southern California University says that increasing per head student expenditure beyond a minimum level does not affect success in the test. The role of domestic background and other social situations in academic performance is more. 'In the US, 10 colleges were studied by the Wabash National Studies, whose academic achievement was equal. It was found that the difference in student expenditure was 6 times the difference.

Similar studies are not available in India's context, but I am confident that the ground situation here is also similar. The rating of quality of schools is needed, as the hotels are given star ratings. The government should encourage the system of such ranking and display it on its website so that the parent can know the reality of the school before enrolling the child. Rather than interfering with the increase in the fees of schools, the rules should be made to increase the fees in the beginning of the academic year rather than in the middle of the session so that the guardian can take a call of enrolling the child in the school with a lower fee if desired. But the autonomy of schools should not be interfered.

One reason for school's arbitrariness is the insufficient number of 'good' schools. The government should pave the way for the opening of new schools and there is a need to simplify the laws. If there are enough number of schools, profits will eventually be controlled by the market. With the passage of time many other schools will come into existence, which will provide equivalent quality education in lesser fees. Ultimately, the increasing number of these schools will offer competitions which will restrict the fees of leading schools. The market should be allowed to control fees. This will not adversely affect the quality of education.

The lands are made available to the schools at concessional rate by the government and relaxation is allowed in the income tax. The fees for these schools should be controlled with the collaborative participation of the government, the parent and the management, all three. This will prevent misuse of government facilities. Their accounts should be audited and should be made public. But, in order to control the fees of all private schools, we should not allow the quality of education to be annihilated.

The sad state of the government schools across the country shows that the government interference in private schools will also bring the same effects in private schools. The law of right to education is already resulted in jeopardy of the autonomy of private schools. School management is also on back foot since 25 percent of the poor children are enrolled in class according to age and relying on the government for reimbursement of the fees.



The mathematics of land norms

Ad. PRASHANT NARANG

Supreme Court of India

The Directorate of Education via Circular dated 22.03.2013 relaxed the minimum limit of land for both primary schools and middle schools located in unauthorized colonies. The current limit stands at 200 sq yd for primary schools and 700 sqm (857 sq yd) for middle schools.

The Directorate of Education via Circular dated 22.03.2013 relaxed the minimum limit of land for both primary schools and middle schools located in unauthorized colonies. The current limit stands at 200 sq yd for primary schools and 700 sqm (857 sq yd) for middle schools.

700 sqm is exorbitant requirement for a school with eight classrooms. If 200 sq yd is the requirement for five classrooms, ideally 120 sq yd should be the required for additional three classrooms. Mandating more than four times the requirement for primary school, that is, 700 sqm (=837 sq yd) is unreasonable and arbitrary.

Clause 5 in the same circular lays down two algorithms to calculate the classroom size:

1. Per Class Wise – The classroom size of a primary school seeking recognition shall be minimum 30

sqm and in the case of middle school shall be 40 sqm. It comes to $(5 \times 30) + (3 \times 40) = 270 \text{ sqm} = 323 \text{ sq yd}$.

2. Per Student Wise – In case the classroom size is less than the prescribed size, the number of students in the class shall be restricted in such a way as to provide for 10 sq ft area for each student after leaving 60 sq ft for teaching area.

Both these algorithms lead to 320-325 sq yd only. It is evident that the policymakers envisage around 320 sq yd for middle level schools in unauthorized colonies, however a random figure of 700 sqm shows up in the table which does not match with the other two algorithms.

There is a paucity of land for private school owners. Even the government is

not in a position to open more schools for the underprivileged students. This has led to a deficit of around 35,000 seats between class V and VI. In addition, the policy is not clear whether it is allowed for primary schools to run middle level classes in the second shift, i.e. whether a Primary school (Nursery-class V) can run Middle classes (VI-VIII) in the second shift. Primary schools are allowed to run primary schools in the second shift though.

Even Right to Education Act, 2009 treats primary and middle level schools alike. It mandates one classroom per teacher and one teacher for every 30 children. RTE does not mention any special or extra arrangement for middle level school.

Delhi High Court in its order dated 29th April 2016 dismissed the petition filed by Coordination Committee of Public Schools (CCPS). It challenged the differentiation in the building norm for primary schools and middle primary schools. While rejecting the argument of arbitrariness and unreasonableness, the Court said that both these categories of schools are not alike and hence the differentiation



CHALLENGES WITH LAND NORMS FOR BUDGET PRIVATE SCHOOLS

CENTRE FOR CIVIL SOCIETY
Social Change Through Public Policy

Problem

Land norms for operating middle level classes in private unaided schools in unauthorized areas of Delhi

Land Norms by Directorate of Education

Land Norms Relaxed In a Circular dated 22.03.2013

Primary Schools^[1] Recognition



Middle Schools^[2] Recognition



Figures in sq yd

Idea behind relaxation

Paucity of land for private school owners. Even the government is not in a position to open more schools for the underprivileged students

Flaw in policy

- ▶ The area required for a middle school is disproportionately higher in comparison to area requirement for a primary school^[3]
- ▶ The policy is not clear whether it allowed primary schools to run middle level classes in the second shift, i.e. whether a Primary school (Nursery-class V) can run Middle classes (VI-VIII) in the second shift

Solutions

A. Land norm for middle level school should be 320 sq yd

WHY?

Clause 5 in circular dated 22.03.2013 issued by the Directorate of Education precisely suggests two more algorithms to calculate the classroom size:

1. Per Class Wise

2. Per Student Wise

Both these algorithms also lead to a calculation of 320 sq yd

B. Allow the primary schools to run middle level classes in the second shift

WHY?

A notification by Directorate of Education (notification no. DE.159191/Act-I/2013/11419-11422) dated

25.10.2013 has allowed a primary level school to run another primary school in the second shift, alternatively running middle classes should also be allowed

C. In a space scarce city like Delhi, the built up area rather than the total land area should be considered. For instance, if a school is built in 200 sq yd in 4 floors, then it should be considered as 800 sq yd rather than 200 sq yd

WHY?

In the neighboring state Haryana, the education department gives relaxation of up to 25% to schools, if the first floor is also available. The officer also has the power to relax another 10% if the school is really working well. In Delhi, since the land cost is really high, this Haryana model can be considered

Benefits

5 Lakh Students

2600 Schools

3000 EWS Children under 25% RTE Quota

Less no. of Dropouts



While moving



Around 1100 primary unaided schools will be converted to middle schools which will increase the number of seats and in turn will be advantageous as more students will complete elementary level of education^[4]

[1] Primary School- Nursery-Class 5 [2] Middle School-Class 6-8

[3] http://edudel.nic.in/upload_2013_14/77886_7900_dt_23032013.html [4] <http://www.jagran.com/delhi/new-delhi-city-14307710.html>

created by the policy is justified. In addition, it refused to look further into the matter by saying that the Court do not normally interfere with the policy decisions. While arguing its case for the policy, the government counsel said that such move was created to prevent

commercialisation of education. It is appalling that such subjective reasoning devoid of any empirical backing has been used to root out middle schools resulting in a deficit of around 35,000 seats between class V and VI. Letters Patent Appeal 528/2016

entitled Coordination Committee of Public Schools vs. Government of NCT of Delhi has been filed by CCPS in order to challenge the Delhi High Court of 29.4.2016. Last hearing was on 23rd Sep. 2016 and the judgment has been reserved for almost six months.

Becoming a teacher's best friend – Story of LEAD school solution

SUMEET YASHPAL MEHTA

Managing Director, LEAD School



Ten years back in 2007, I moved back to India from Singapore where I had been living and working for 7 years at Procter & Gamble Ltd. I was driven by a desire to change the face of education in India because I was deeply dissatisfied with the quality being dished out to our children. In order to learn about the education segment, I spent 5 years as Chief Executive Officer of one of India's few listed education companies - Zee Learn Limited. This gave me a wide understanding of school and pre-school education. I was deeply interested in curriculum and pedagogy and together with my team, we developed innovative methods of developing young children and for teaching-learning of Math and Science.

Five years back in 2012, hit by the realization that my work was still restricted to the upper middle class

and big town parents, I quit Zee Learn to set up a school for first generation learners in a village in Gujarat with my co-founder, Smita Deorah. The goal: develop a solution that can help those students learn, who do not have access to good education and do not have home learning support. The first question that we were asked by everyone was: Where will you get your teachers? How will you train your teachers? How will you retain them?

Everyone had an intuitive understanding that student learning is a direct function of what the teacher does with her students. If the teacher is absent, there is no learning. If the teacher is present but not teaching, there is little learning. If the teacher teaches by traditional methods of lecture and rote, there is rote learning. (most teachers fell in this category).

Only when the teacher uses her own strong content and pedagogical skills, to help students learn through their preferred learning style (auditory, visual or kinesthetic), does robust learning take place - the one that can be applied outside the classroom and the one that still exists, long after exams are conducted. These teachers, alas, are few and far between!

When we started hiring teachers, we realized the paucity of good teachers. Candidates would come with BA, MA and B.Ed. but could hardly speak a sentence in English. Their conceptual understanding of basic science and math concepts was very poor. And their teaching ability was restricted to reading off the textbook and translating for the students' benefit. So we did what everyone does - Train the Teacher!

We trained them on lesson

planning, objective setting, classroom management, subject knowledge, teacher leadership, etc. over the first year. Our investment of time and energy in training was very high. The feedback to our training sessions was very good. Teachers were very engaged in our trainings and went happy that they had learnt something interesting. But we soon faced 2 problems:

1. The translation of their training to their classroom practice remained very low. We needed a very high amount of supervision and review to ensure that teachers were teaching the way they were trained. Even with supervision, very few teachers would make lesson plans. Very few would prepare the resources and very few would follow conduct the activities they had learnt. On checking why, paucity of time was often the most often quoted reason.
2. Also, due to high teacher turnover, at any point there was a need to train someone or the other. This was also a very high drain on resources. A teacher would leave because her husband was moving to another town, or she got married, or was expecting a child or sometimes for a few hundred rupees higher salary. And with her, all the training investment also went away.

In short, training the teacher was not a sustainable and effective strategy. We had thought that we'll make standardized modules of training that can be replicated across schools but on this evidence, we had to think of a different approach.

Putting our heads together, we realized that we were expecting too much from our teachers. We were expecting them to understand the concepts of differential learning, Bloom's taxonomy, multiple intelligences, and student centric learning. We were expecting them to make great lesson plans and prepare resources before their class. We were expecting them to analyze student results and conduct remedials. All this

while taking attendance, writing diaries, checking notebooks and filling registers! While all this might be possible in schools where teachers have sufficient non-teaching time, where teachers are highly motivated & capable and where a low student-teacher ratio reduces burden on teacher; in most schools teachers do not have the time, the intention or the capability to do all this. In short, we were expecting miracles from mortals. It was difficult to teach excellently, because it asked a lot from the teacher. Faced with her workload, she often resorted to the path of least resistance, i.e. rote learning from the textbook!

We needed something that made it easy for teachers to teach excellently. What if all the great pedagogical practices could be put in lesson plans and made available to teachers? What if all the resources that the teacher needed, could be pre-designed and provided to the teacher? Why would a teacher teach badly, if teaching excellently was easier?

These design questions led us to develop the LEAD School Solution. We designed a teacher app on a hand held device with detailed lesson plans mapped to the curriculum. Teachers gave us feedback that the plans were great but they had to spend a lot of time searching and gathering the resources needed to execute the plans. And then they had to figure out pen drives to transfer these files to a computer or projector. All this created friction and led to low adherence to plans. So, we upgraded the teacher app to contain all AV material needed for the plan. We also designed and sent a School Kit with all the physical resources required, so that the teacher didn't have to prepare or search for them. And because books of national publishers were not appropriate for our students, we designed our own readers and workbooks mapped to NCERT. This took us 3 years but at the end, the LEAD School Solution made it easy for the teacher to teach excellently.

Now teachers wanted more because they had tasted the benefits

The same local teachers who were earlier teaching by lecture method leading to rote learning, became better teachers by using the LEAD Teacher App. Student learning improved.



of technology and centralized design. Based on further feedback, we enabled assessment data to be captured and analyzed through the app and remedial plans to be made based on this data. There was no need to do detailed Microsoft excel calculations anymore! We also enabled Attendance data to be captured in LEAD Teacher App. There was now no need to maintain separate registers! And finally, to include parents as equal partners, we developed a LEAD Parent App. All communication and notifications could now be sent digitally. There was no need for teachers to fill 35 diaries anymore! Slowly, over 4 years, we had created a LEAD School Solution that was comprehensive and catered to all stakeholders. Most importantly, it made the teacher's task easier and allowed her to focus on her main job - teaching excellently!

The results were astounding! The

same local teachers who were earlier teaching by lecture method leading to rote learning, became better teachers by using the LEAD Teacher App. Student learning improved. Across our schools, students showed 1.6 years of English Literacy growth in just one year. In Math, class average improved from 51% to 63% in just one year. Teachers remarked how easy it had become to teach excellently. Their classes were much more engaged and they felt happy seeing their students learn. Schools had better data at hand. They could see which class was doing well and which teacher was teaching well based on student results. Some of our trainings were then directed to those teachers who had low student results, in areas they needed help with. Parents were happy because they now knew what their child was learning through regular notifications. The overall school

system improved.

We then opened more LEAD Schools and implemented the LEAD School Solution there too. We also offered it to a few partner schools to see the results. In both own and partner schools, student learning and teacher satisfaction were as good as our first school. These results gave us the confidence that teachers when empowered with the right tools and solutions, can create miracles with their students.

We are now implementing the LEAD School Solution in government schools in Delhi and affordable private schools in Maharashtra, Gujarat and other states, to improve student learning there too. Our mission is to bring excellent education to every child. And we are keenly looking for more similar minded educators and school leaders to partner with us on this mission!



Child not given admission since we applied in open category

Q: We have applied for admission in Nursery in "General Education Academy" in Chembur. We are Hindu-Mochi and we want to seek admission in open category since we can afford the education and someone who really deserves the benefit should get it. But the school is denying admission stating that a reserved category student cannot seek admission in open category. Thanks

JAIRAJ | jairajkurdia87@gmail.com

A: RTE Act indeed restricts 25 per cent seats to the children of economic weaker sections and disadvantaged background but it does not exclude any child to apply under open category. Such denial is illegal. You can write to the school asserting your right to not avail the legal privilege under section 12(1)(c) and your right to approach judicial forum for an appropriate remedy.

Grievance Title: Student Bhanage Soham Rajendra (17AH002132) Allocated to the School DAHANUKAR ENG MED PRI TILAKNAGAR (27261004309) under 25% RTE Rule however the School Demanding Admission Fee & Other Fees to the parents

Q: Student Bhanage Soham Rajendra (17AH002132) Allocated to the School DAHANUKAR ENG MED PRI TILAKNAGAR (27261004309) under 25% RTE Rule however the School Demanding Admission Fee & Other Fees to the parents And also demanding Bus Fees however home to school distance is less than 3 KM. School also gives receipt to pay the amount in the bank & stated that, parents should pay the amount otherwise admission would be cancelled. School also gives same statement to below students which allocated under RTE Rule Pawar Atharv (17AH002255), Jadhav Harshal (17AH004346).

Lastly school admission authority person told you may call any RTE officer but we don't give admission without pay this amount. Thanks,

BHANAGE RAJENDRA JABAJI | rakesha.raje@gmail.com

A: No school can ask for any tuition fee or admission fee from any child allocated or admitted as per section 12(1)(c) of the RTE Act. Regarding bus fee, please check the state rules and high court judgments, if any.

Number of holidays permitted

Q: My child is going to be in the 1st STD at JBCN - PAREL in the academic year 2017-18. As per their holiday list - they have given a total of 178 holidays and only 187 working days. I want to know what is the minimum no. of working days a school should compulsorily adhere to. Co we are paying huge amounts of fees for only 187 working days

ESHITA GALA | ekhandhar84@gmail.com

A: As per the Schedule to the RTE Act, minimum number of working days for class I-V must be not less than 200 in an academic year. You can write to the state education department and state commission for protection of child rights.

Q: Is the RTE applicable to Minority Educational Institutes?

SIKH NATIONAL HIGH SCHOOL | snhs1946@gmail.com

A: 25 per cent quota provision is certainly not applicable to Minority Educational Institutes even if those are aided schools. For other provisions, you will need to check your state high court judgments.

How to register my pre school in bihar

Q: please help me how to register my school block

VIVEK YADAV | vivekca.raj773@gmail.com

A: Most states do not have any regulations for pre-schools. Please contact the state education department for registration of your pre-schools.

RTE - 25% Reservation Quota

Q: Why income certificate is Rs 1 lakh?

If Government given tax free income slab was rs. 2,50,000/- to 3,00,000/- then why RTE-25% given condition of rs.1,00,000/- income certificate, if it is wrong give new notification. It means government does not want to enroll middle class family child in good education. Please clarify.

SADANAND | shisode13@gmail.com

A: The eligibility criteria for admission under section 12(1)(c) RTE Act which reserves and provides state funding for 25 per cent of seats in private non-minority schools is decided by the state government or the state education departments. The objective is to benefit economically weaker sections and other disadvantaged groups only. You can apply for open category seats.

Centre for Civil Society offers free legal advice and consult on RTE. We consult legal expert and advocate from iJustice. Write to nisa@ccs.in with your query.

Be as brief, clear and specific as possible, and put the subject line as: 'Legal Boundaries - NISA Query'.

Will you help me achieve my dreams?

We are looking for motivated partners to transform government schools into centers of excellence.

The partnership has strong support from South Delhi Municipal Corporation and philanthropists.

*"It's a very rewarding partnership,
with potential for great impact."*

Ashok Kumar Thakur, Muni International School
(Partner in 3 schools in South Delhi)



28 schools 12 partners 5000 students

For further details, contact Kanchan Lall



info@theeducationalliance.org



+91 98180 20998 / +91 11 49125907

www.theeducationalliance.org

ANNOUNCING SCNC 2017

9th SCHOOL CHOICE NATIONAL CONFERENCE NEW DELHI

An Initiative of



CENTRE FOR CIVIL SOCIETY
Social Change Through Public Policy

In partnership with



National Independent Schools Alliance

Hindi social media partner



www.azadi.me

With support from



AN EdelGive INITIATIVE



NISA MEMBERSHIP FORM

BENEFITS TO THE ASSOCIATIONS

- ▶▶ Joining an alliance that provides a national voice, advocating for the interest of budget private schools
- ▶▶ Opportunity to spread awareness about the need for associations
- ▶▶ Reputation-building for the association at a national and international level
- ▶▶ Exposure and opportunities to learn from the best practices of other member associations from different states
- ▶▶ Latest information about education developments, new legislations, policies, regulations, amendments and related issues
- ▶▶ Direct contact with colleagues across the country and throughout the nation - an open gateway to people and resources that help make schools even better
- ▶▶ Through a nationwide advocacy campaign, access to legal aid to protect interests of associations
- ▶▶ Representation on a national citizenry platform that advocates for fewer regulations and greater transparency from the government, media, academics and international organizations
- ▶▶ Updates on important cases from alliance officers and staff who attend meetings with governments

NISA MEMBERSHIP FORM FOR ASSOCIATION

Name of Association:

Name of President/Head of the Association:

Phone Number: E-mail ID:

Postal Address of Association/ Head of the Association (Whichever is applicable):

Website:

Yes, I wish to be a member of National Independent Schools Alliance (NISA)

Fill in the above form and send it to NISA Secretariat, A-69, Hauz Khas, New Delhi- 110016

For more information, call: +91 9899485667; 011 2653 7456 E-mail: nisa@ccs.in Website: www.nisaindia.org



NISA NAMASKAR SUBSCRIPTION FORM

SUBSCRIPTION FORM FOR NISA NAMASKAR

Please complete the form below and send it to: NISA Secretariat, A-69, Hauz Khas, New Delhi- 110016

Name:

Phone Number: Email ID:

Address:

Pin Code: Country:

Occupation:

Mode of Payment: Cash: ☐ Cheque: ☐ Net Banking: ☐

For net banking, transfer the amount at : A/C No.- 412102010057920
Union Bank of India, Nehru Place, New Delhi-110019
IFSC Code: UBIN0541214

Yearly Subscription Amount: INR 500

For payment via cheque, please enclose cheque/DD in favour of NISA Education, payable at Delhi for INR 500

For further queries, subscription or advertisement related, contact: nisa@ccs.in; 91 9899485667; 011 2653 7456

नामस्कार

Affordable Schooling, Commendable Learning


VOLUME 3 / ISSUE 1

बजट प्राइवेट स्कूलों
की नीतिगत चुनौतियां p6

भारतीय शिक्षा व्यवस्था
को जियो क्रांति की दरकार! p16

फीस वृद्धि में सरकारी दरखल
से समस्या का समाधान नहीं p18

Call for Entries



EduDoc

STORIES OF EDUCATION

INTERNATIONAL SHORT FILM COMPETITION

Centre for Civil Society is proud to announce the return of its' flagship media event "EduDoc: Stories of Education" in an effort to rekindle the celebration of education. The 2017 edition has a central overarching theme of "Education: Challenges, Innovations, Celebrations", and is open to all.

EduDoc 2017 aims to transcend geographical and language barriers by providing a platform to help bring into the limelight, educationists and edupreneurs, whose innovative ideas nurture education. Significant contributions often remain in the shadows and to correct this, we'd like to provide the center stage to those who, despite limited resources, are facilitating and shaping the upcoming generation of leaders.

THEME Education: Challenges, Innovations, Celebrations

DURATION 05:00 minutes or less (including credits)

LANGUAGE Any (English subtitles mandatory for non-English films)

NO. OF SUBMISSIONS PER FILMMAKER Unlimited

FREE ENTRY

**APPLICATION
DEADLINE
15 Sept 2017**

www.jeevika.org/edudoc-2017

For queries, contact:

+91-11-2653 7456; ext 43 | +91-88003 44700 | jeevika@ccs.in

An initiative of




CENTRE FOR CIVIL SOCIETY
Social Change Through Public Policy

In collaboration with



Supported by



Hindi social media partner





National Independent Schools Alliance

National Independent Schools Alliance (NISA) is the unified voice of budget private schools (BPS) in India, that aim at improving access to affordable and quality education for the economically weaker students.

20 States, 24 Associations'

55,000+ Schools, 22,00,00,000+ Students

Become a member today! Join NISA

[f /nisaindia.org](https://www.nisaindia.org) [/nisaedu](https://www.nisaedu.org) [/ccsiandiatv](https://www.ccsiandiatv.org)

एडिटर

अविनाश चंद्र

एडिटोरियल बोर्ड

कुलभूषण शर्मा

राजेश मल्होत्रा

अमित चंद्र

डी. शशि कुमार

एस. मधुसूदन

मो. अनवर

कंटेंट कोऑर्डिनेटर

थॉमस एंटनी

लीगल कंटेंट एडवाइजर

एड. प्रशांत नारंग

सोशल मीडिया टीम

अमित चंद्र

थॉमस एंटनी

वार्षिक सब्सक्रिप्शन

500 रु. चेक/ड्रॉपट

NISA Education के नाम दें

संपादकीय कार्यालय

ए-69, हौज खास

नई दिल्ली - 110016

दूरभाष: 011 26537456

वेबसाइट: www.nisaindia.org

सब्सक्रिप्शन व अन्य जानकारीयों के लिए संपर्क करें: nisa@ccs-in

विषय सामग्री



फीस वृद्धि में सरकारी दखल से समस्या का समाधान नहीं p18

संपादकीय

04 राइट टू एजुकेशन बनाम राइट टू क्वालिटी एजुकेशन

अविनाश चंद्रा

05 निसा सन्देश

एस आर थॉमस एंटोनी

संपादक की पसंद

06 बजट प्राइवेट स्कूलों की नीतिगत चुनौतियां

कुलभूषण शर्मा और अमित चंद्रा

10 'अच्छी शिक्षा' के लिए 'अच्छे इरादे' ही काफी नहीं

ओमेश मीणा

निसा संवाद

13 प्रांतीय बैठकें और एडवोकेसी मीटिंग

15 सुर्खियां

शिक्षा

16 भारतीय शिक्षा व्यवस्था को जियो क्रांति की दरकार!

नितेश आनंद

18 फीस वृद्धि में सरकारी दखल से समस्या का समाधान नहीं

अविनाश चंद्रा

कानूनी घटनाक्रम

20 भूमि से संबंधित मानदंडों का गणित

एड. प्रशांत नारंग

शिक्षा तकनीकी

22 किसी शिक्षक का सबसे अच्छा मित्र बनना - लीड स्कूल सॉल्यूशन की कहानी सुमीत यशपाल मेहता

20 कानूनी सलाह

एड. प्रशांत नारंग




अविनाश चंद्रा

लेखक www.azadi.me के संपादक हैं

राइट टू एजुकेशन बनाम राइट टू क्वालिटी एजुकेशन

राजधानी दिल्ली के शिक्षा निदेशालय के हवाले से मीडिया में प्रकाशित खबरों के मुताबिक शैक्षणिक सत्र 2017-18 में ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के तहत नर्सरी कक्षाओं दाखिलों के लिए कुल 1,13,991 आवेदन प्राप्त हुए। बीते दिनों निदेशालय द्वारा लॉटरी ड्रॉ प्रक्रिया के बाद कुल उपलब्ध 31,653 सीटों के लिए पहली सूची जारी की गयी। निजी स्कूलों में दाखिले की इच्छा रखने वाले 82,338 छात्रों के अभिभावकों के लिए उहापोह की स्थिति बनी हुई है। उन्हें समझ नहीं आ रहा है कि उनके बच्चों को दाखिला कैसे मिलेगा ? कुछ आशावादी अभिभावकों को अब भी उम्मीद है कि पहली सूची में नाम निकलने वाले कुछ छात्रों के दाखिला न लेने अथवा आवश्यक कागजातों के न होने की दशा में निकलने वाली दूसरी सूची में शायद उनके बच्चों का नाम आ जाए। हालांकि यह स्थिति बिल्ली के भाग्य से छीका फूटने के जैसी ही है और इससे अधिकतम कुछेक हजार बच्चों को ही दाखिले का मौका मिल सकेगा। बावजूद इसके लगभग 80 हजार छात्र अपने पसंद के निजी स्कूलों में दाखिले से वंचित रह जाएंगे। इन छात्रों में बड़ी तादात उन बच्चों की भी है जिनका नाम पिछले वर्ष जारी सूची में भी नहीं था। चूंकि जनरल कैटेगरी के तहत दाखिले की प्रक्रिया लगभग समाप्त हो चुकी है ऐसे में इन छात्रों के समक्ष अब सरकारी स्कूलों में ही दाखिला लेने का रास्ता बचता है। कहने का तात्पर्य यह है कि तमाम प्रयासों के बावजूद लोगों को दाखिले के लिए सरकारी स्कूलों की तरफ आकर्षित करने में सफलता नहीं मिल सकी है लेकिन कोई अन्य विकल्प न होने के कारण अभिभावकों को वहीं दाखिला लेने के लिए मजबूर होना पड़ता है। लेकिन यदि सरकार चाहे तो पॉलिसी में एक छोटे से बदलाव से गुणवत्तायुक्त शिक्षा हासिल करने और इस लिए निजी स्कूलों में दाखिला कराने का सपना रखने वाले छात्रों व अभिभावकों को राहत मिल सकती है। उदाहरण के लिए, दिल्ली में ऐसे मान्यता प्राप्त स्कूलों की बेहद कमी है जहां आरटीई के तहत गरीब वर्ग के बच्चों को सरकार निशुल्क दाखिला दिला सकती है, जबकि बड़ी तादात में ऐसे स्कूल मौजूद हैं जिन्हें 'फॉल्टी पॉलिसी' के कारण मान्यता प्राप्त नहीं है और सरकार वहां दाखिले के एवज में 'री-ईम्बर्समेंट' नहीं दे सकती। यदि सरकार

अपनी फॉल्टी पॉलिसियों जिसमें निश्चित आकार की जमीन की अनिवार्यता प्रमुख है, में सुधार कर लेती है तो लगभग तीन हजार नए स्कूल एक बार में ही अस्तित्व में आ जाएंगे। दरअसल, दिल्ली में प्राइमरी अर्थात 5वीं कक्षा तक के स्कूलों को मान्यता प्राप्त करने के लिए लगभग 320 स्क्वायर यार्ड जमीन जबकि मिडिल अर्थात 8वीं कक्षा तक के स्कूलों को मान्यता प्राप्त करने के लिए 700 स्क्वायर मीटर यानि कि लगभग 840 स्क्वायर यार्ड की जरूरत होती है। दिल्ली जैसे शहर में जहां जमीन की भारी किल्लत है, वहां बजट स्कूलों के लिए इतने जमीन की व्यवस्था करना संभव नहीं है। ऐसे में सरकार स्कूलों को 'फ्लोर' के आधार पर मान्यता प्रदान कर सकती है। अर्थात 400 स्क्वायर यार्ड की जमीन पर बने स्कूलों में यदि 'सेकंड फ्लोर' बना लिया जाए तो उसे 800 स्क्वायर यार्ड के बराबर मानकर मान्यता प्रदान की जाए। अथवा 'ब्रोकेन रिकग्निशन' अर्थात खंडित मान्यता भी प्रदान की जा सकती है। उदाहरण के लिए स्कूलों को दो पालियों में स्कूल चलाने की अनुमति प्रदान की जानी चाहिए जहां पहली पाली में 5वीं और दूसरी पाली में कक्षा 6 से 8 तक की कक्षाएं चलाई जा सकें। इससे बड़ी तादात में निजी स्कूलों में दाखिला लेने के इच्छुक छात्रों का सपना पूरा हो सकता है। इसके अतिरिक्त मान्यता मिल जाने के कारण गैरमान्यता प्राप्त स्कूलों को मुख्यधारा में शामिल कर वहां के छात्रों को सरकारी योजनाओं से भी जोड़ा जा सकेगा। इस प्रकार, सरकार अपने नागरिकों को सही मायने में राइट टू एजुकेशन बल्कि राइट टू क्वालिटी एजुकेशन प्रदान करने में सक्षम हो सकेगी।



निसा नमस्कार और हार्दिक अभिनंदन !
यह मेरा अदम्य सौभाग्य है कि मुझे इस वार्षिक यात्रा के दौरान हासिल किए गए सफलता के कुछ मील के पथरों को आप सभी के साथ साझा करने का अवसर प्राप्त हो रहा है। निसा लगातार देश के लिए बेहतर शिक्षा नीति की वकालत करता रहा है और पिछले एक वर्ष की यात्रा के दौरान हमने निजी स्कूलों के पक्ष में कुछ नीतिगत परिवर्तन लाने में सफलता पायी है। निजी स्कूलों में दाखिले की संख्या में वृद्धि संबंधी शोध व आंकड़े बेहतर शिक्षा की चाहत और इसके प्रति स्वैच्छिक दृष्टिकोण और अभिभावकीय विकल्प का समर्थन करते हैं और बजट प्राइवेट स्कूलों की पसंद की पुष्टि करते हैं।

निजी स्कूलों के खिलाफ दिन प्रतिदिन सरकारी आदेश प्रसारित किए जाते हैं, मीडिया लगातार निजी स्कूलों की आलोचना कर रही है, यहां तक कि न्यायिक वक्तव्य भी निजी स्कूलों के ही विरोध में होते हैं। इसके बावजूद हम सभी बजट प्राइवेट स्कूलों में पढ़ने वाले उन सब अछि। संख्य बच्चों को गुणवत्ता युक्त शिक्षा प्रदान करना सुनिश्चित करने के लिए अपने संघर्ष में लगातार योगदान दे रहे हैं।

- हम पूरे देश में सफलतापूर्वक 18 प्रांतीय बैठकें (स्टेट मीटिंग्स) और बजट प्राइवेट स्कूलों के समर्थन में एडवोकेसी करने में कामयाब हुए हैं। इन बैठकों ने निसा की पहचान एक विश्वसनीय संगठन के तौर पर स्थापित करने में मदद की है। इसके परिणामस्वरूप दिल्ली, हरियाणा, महाराष्ट्र जैसे राज्यों ने बजट प्राइवेट स्कूलों की शिक्षा परिदृश्य को समझने के लिए निसा को आमंत्रित किया।
- एजुकेशन वर्ल्ड मैगजीन द्वारा तैयार किए गए भारत के सर्वश्रेष्ठ बजट प्राइवेट स्कूलों की सूची में निसा नेटवर्क से जुड़े 25 बजट प्राइवेट स्कूलों को स्थान दिया है।
- केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा नई शिक्षा नीति के बाबत गठित समिति ने निसा को नई शिक्षा नीति प्रारूपण (एनईपी ड्राफ्टिंग) की प्रक्रिया के दौरान प्रस्तुति के लिए आमंत्रित किया है।
- निसा के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री कुलभूषण शर्मा को आरटीई फीस प्रतिपूर्ति (आरटीई रिईम्बर्समेंट) के पुनर्विलोकन (रिव्यू) हेतु गठित राज्य स्तरीय समिति का सदस्य बनाया गया है। श्री जी एन वार श्रीनगर में सरकारी निजी स्कूल समिति के सदस्य बनाए गए हैं।
- दिल्ली सरकार के साथ काम करने के लिए डीआईएसए (दिसा), एनआईएसए (निसा) और सीसीपीएस द्वारा पॉलिसी समीक्षा

समिति (पॉलिसी रिव्यू कमिटी) का गठन किया गया है।

- दिल्ली सरकार ने दिल्ली के निजी स्कूलों के लिए निश्चित आकार की भूमि की अनिवार्यता (लैंड नॉर्म्स) में राहत देने के लिए कक्षा के कमरों की संख्या के आधार पर मान्यता देने वाले विचार को स्वीकार किया है।
- दिल्ली के बजट प्राइवेट स्कूलों की दिल्ली सरकार के साथ निश्चित आकार की भूमि की अनिवार्यता के मुद्दे पर आधारित एक बैठक का आयोजन किया गया।
- हरियाणा सरकार ने प्रत्यक्ष नकदी हस्तांतरण तंत्र (डायरेक्ट कैश ट्रांसफर मैकेनिज्म) की घोषणा की है।
- निसा नमस्कार न्यूज लेटर अब त्रैमासिक पत्रिका में परिवर्तित हो चुका है। यह त्रैमासिक प्रकाशन ऑनलाइन व मुद्रण संस्करण दोनों में प्रकाशित होता है। निसा के समस्त सदस्यों, 80 चुनिंदा संसद सदस्यों, सभी राज्यों के शिक्षा मंत्रियों व शिक्षा सचिवों, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोगों, 20 चुनिंदा वरिष्ठ पत्रकारों के बीच इस पत्रिका को नियमित रूप से वितरित किया जाता है।
- तमिलनाडू नर्सरी प्राइमरी एंड मैट्रिक हायर सेकेंडरी स्कूल्स एसोसिएशन ने नई शिक्षा नीति व बजट प्राइवेट स्कूलों का दृष्टिकोण विचार गोष्ठी का आयोजन किया।
- दिल्ली के उप मुख्यमंत्री व शिक्षा मंत्री श्री मनीष सिसोदिया के साथ दिल्ली राज्य सम्मेलन (दिल्ली स्टेट कॉन्फ्रेंस) व संवाददाता सम्मेलन का आयोजन: निसा दिल्ली राज्य बजट प्राइवेट स्कूल सम्मेलन, 250 प्रतिभागी। गोवा, पंजाब, हरियाणा, महाराष्ट्र व उत्तराखंड के प्रतिनिधियों ने भी शिरकत की।
- तेलंगाना— ईएसआईसी के मुद्दे पर केंद्रीय मंत्री श्री बंडारा दत्तात्रेय के साथ ईएसआईसी को बीते समय से लागू करने के आदेश में संसोधन के लिए बैठक, निसा की ओर से एक मांग पत्र प्रेषित किया गया बाद में उसी पत्र को निसा के प्रांतीय सदस्यों ने भी साझा किया। परिणाम स्वरूप ईएसआईसी संबंधित नीति में बदलाव किया गया और इसे बीते समय की बजाए आने वाले समय से लागू कराने में सफलता प्राप्त हुई।
- राज्य के शिक्षा मंत्रियों के साथ बैठक: महाराष्ट्र के श्री विनोद तावड़े, हरियाणा के श्री राम बिलास शर्मा, दिल्ली के श्री मनीष सिसोदिया, तमिलनाडू के श्री पांडियाराजन और उत्तराखंड के श्री मंत्री प्रसाद के साथ बैठक कर निसा व बजट प्राइवेट स्कूलों के समक्ष उत्पन्न



एस आर थॉमस एंटोनी
निसा सेक्रेटरी

चुनौतियों से अवगत कराया गया।

- हरियाणा सरकार द्वारा प्रति छात्र फंडिंग के मॉडल को स्वीकार कर लिया गया है। निसा द्वारा की गई एडवोकेसी के फलस्वरूप केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) को प्रधानाचार्यों की नियुक्ति से संबंधित अपने आदेश को वापस लेना पड़ा।
- निसा कर्नाटक चैप्टर— काम्स (के ए एस एस) ने फीस प्रतिपूर्ति की राशि की मात्रा को न्यायालय में चुनौती दी। प्राथमिक स्तर पर न्यायालय ने सरकार को 6 सप्ताह के भीतर इस मांग पर निर्णय लेने का निर्देश जारी किया। उसके पश्चात काम्स ने अवमानना का मुकदमा दायर किया जिसके पश्चात सरकार ने हाल ही में फीस प्रतिपूर्ति (रिईम्बर्समेंट) राशि को 11.8 हजार से बढ़ाकर 16 हजार करने का फैसला लिया। इस संदर्भ में एक अधिसूचना जारी कर उच्च न्यायालय में जमा कराया गया।



कुलभूषण शर्मा

कुलभूषण शर्मा, 'फेडरेशन ऑफ प्राइवेट स्कूल्स एसोसिएशन', हरियाणा के प्रेसिडेंट हैं। वह 'नेशनल इंडिपेंडेंट स्कूल्स अलाएंस' (निसा) के प्रेसिडेंट, 'पैट्रियोटिक फोरम ऑफ इंडिया' के स्टेट प्रेसिडेंट व 'राष्ट्रीय मानवाधिकार संरक्षण संगठन' के कार्यकारी स्टेट प्रेसिडेंट भी हैं। वह पूर्व में 'राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान' के जनरल काउंसिल के सदस्य और 'स्कूल एजुकेशन रूल्स रिव्यू कमेटी' के सदस्य भी रहे हैं।



अमित चंद्रा

अमित सेंटर फॉर सिविल सोसायटी (सीसीएस) की पॉलिसी एडवायजरी के हेड हैं। उन्होंने शहरी परिवेश में स्ट्रीट वेंडिंग को वैध रोजगार के रूप में पहचाने दिलाने के लिए 'जीविका: लॉ, लिबर्टी एंड लाइवलीहुड' एडवोकेसी कैंपेन का सफल संचालन किया और राजस्थान व बिहार में कानून के गठन की राह सुनिश्चित करने में अहम भूमिका निभाई।

बजट प्राइवेट स्कूलों की नीतिगत चुनौतियाँ

भारत में, सरकार 6 से 14 वर्ष आयुवर्ग के बच्चों को प्रारंभिक शिक्षा प्रदान करने के लिए संवैधानिक रूप से बाध्य है। हमारे देश में शिक्षा नीति की संरचना इस प्रकार की गई है कि वह शिक्षा मयस्सर कराने के लिए मुख्य रूप से सरकार द्वारा संचालित किए जाने वाले स्कूलों पर केंद्रित है। यकीनन, गैर सरकारी संस्थानों द्वारा संचालित स्कूलों को दोयम स्तर का दर्जा हासिल है। इसलिए, हमें अपने पर्यवेक्षण के दौरान सरकारी और निजी स्कूलों के प्रति नीतिगत दृष्टिकोण में स्पष्ट अंतर देखने को मिला। सरकारी स्कूलों के संबंध में यह दृष्टिकोण जहां सहयोगी और सुविधा प्रदान करने वाला होता है वहीं निजी स्कूलों के प्रति यह दृष्टिकोण अधिक नियंत्रणकारी और नियमन युक्त होता है। स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर (बुनियादी ढांचे) से संबंधित मानदंड एक ऐसा ही क्षेत्र है जहां नियमन में असंगतता ज्यादा स्पष्ट तौर पर दिखाई देती है। उदाहरण के लिए, एक सरकारी स्कूल में जब पुस्तकालय की सुविधा उपलब्ध नहीं होती तो नीतिगत प्रतिक्रिया उन सभी स्कूलों में सार्वजनिक कोष से पुस्तकालय बनाने वाली होती है। हालांकि जब किसी निजी स्कूल में पुस्तकालय सुविधा उपलब्ध नहीं होती है तो नीतिगत प्रतिक्रिया स्कूल की मान्यता रद्द करने की धमकी देते हुए एक निश्चित समय सीमा के भीतर पुस्तकालय बनाने के लिए स्कूल प्रबंधन पर दबाव बनाने वाली होती है। हम सभी को यह समझना होगा कि बजट प्राइवेट स्कूल्स (बीपीएस) सामुदायिक स्कूल होते हैं और उसी पारिस्थितिक तंत्र का हिस्सा होते हैं जिसमें छात्र, अभिभावक

और अध्यापक सम्मिलित होते हैं। स्कूल अपने आस पास की पारिस्थितिकी से ज्यादा अलग नहीं हो सकते। सरकारी स्कूलों की क्षमता में वृद्धि के लिए सरकार सहयोगात्मक दृष्टिकोण अपनाती है लेकिन उसी सरकार का दृष्टिकोण निजी स्कूलों को लेकर सर्वथा विपरीत और कड़े नियमन वाला होता है। भारत में निजी स्कूल कम संख्या में हमेशा से अस्तित्व में रहे हैं और मुख्यतः शहरी क्षेत्रों तक सीमित रहे हैं। हालांकि बीते तीन दशकों के दौरान सस्ती दर पर गुणवत्ता युक्त शिक्षा उपलब्ध कराने वाले बजट प्राइवेट स्कूलों का उद्भव हुआ और ग्रामीण क्षेत्रों में इनका विस्तार हुआ। अस्तित्व में आने के बाद से बजट प्राइवेट स्कूल देश में स्कूल जाने योग्य लगभग 40 प्रतिशत बच्चों को अपनी सेवाएं प्रदान कर रहे हैं, फिर भी उन्हें उन्हीं समान नीतिगत ढांचों के तहत काम करना पड़ता है जिनके तहत बड़े निजी स्कूल और सरकारी स्कूल संचालित होते हैं। नियामक मानदंडों का अनुपालन करना एक गंभीर मुद्दा बन गया है और इसका परिणाम देश के हजारों स्कूलों की बंदी के रूप में देखने को मिल रहा है। जो अबतक बंद नहीं हुए हैं उन्हें भी अस्तित्व में बने रहने के लिए दिन प्रतिदिन चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। प्रस्तुत लेख में बीपीएस द्वारा सामना किए जाने वाले प्रमुख नीतिगत चुनौतियों पर चर्चा की गई है।

स्कूल खोलना और चलाना

एक ऐसे देश में जहां ज्यादा से ज्यादा संख्या में स्कूल खोलने की आवश्यकता है, यह जानकर अत्यंत निराशा होती है कि यहां स्कूल खोलना और



उसका संचालन करना कितना मुश्किल कार्य है। स्थान और स्तर (प्राथमरी, सेकेंडरी अथवा सीनियर सेकेंडरी) के आधार पर एक स्कूल को खोलने के लिए 15 से 36 अनुमतियों (सर्टिफिकेट्स, मान्यताओं और दस्तावेजों) की जरूरत पड़ती है। इसके अलावा समय समय पर बदलते रहने वाले नियमों और उनके अनुपालन की बाध्यता के कारण यह कार्य और अधिक मुश्किल होता जाता है। सेंटर फॉर सिविल सोसायटी (सीसीएस) द्वारा वर्ष 2001 में कराए गए एक अध्ययन के मुताबिक एक स्कूल खोलने के लिए कम से कम 15 लाइसेंसों और अनुमतियों की आवश्यकता होती है। वर्ष 2001 के बाद से केवल इतना परिवर्तन हुआ है कि कुछ राज्यों द्वारा स्कूल खोलने के लिए आवश्यक 'एससियल सर्टिफिकेट' की अनिवार्यता को समाप्त कर दिया गया है।

स्कूलों को स्कूल भवन 25के निर्माण कार्य व अन्य सुविधाओं की व्यवस्था करने के दौरान के उस समय के नियम कानूनों का अनुपालन करना होता है। हालांकि, विभिन्न प्राधिकरणों द्वारा समय समय पर नए नए नियमों को बनाने का क्रम जारी रहता है और उन्हें बीते समय से प्रभावी भी कराया जाता रहता है। ऐसे में उन नियमों, विशेषकर भवन निर्माण व इंफ्रास्ट्रक्चर से संबंधित कानूनों में हुए परिवर्तन का अनुपालन करना अत्यंत मुश्किल हो जाता है। उदाहरण के लिए, कर्नाटक सरकार ने सभी स्कूलों के लिए खेल के मैदान के रूप में 1 से 1.5 एकड़ की खुली भूमि (ओपन स्पेस) रखना अनिवार्य करने का फैसला लिया है। इसी प्रकार, स्कूलों को काउंसलर, मनोचिकित्सक, महिला सहायिका, क्षेत्रिय भाषा में पाठ्यक्रम, स्कूल बसों की सुरक्षा, सीसीटीवी कैमरों की स्थापना जैसी आवश्यकताओं के संदर्भ में भी आदेश पारित किये गए हैं। अकादमिक सत्र (एकेडमिक सेशन) के बीच में लागू किए जाने वाले ऐसे ऐसे नियमों का अनुपालन और उनके खर्चों को वहन करना स्कूलों के लिए अत्यधिक मुश्किल कार्य हो जाता है। उदाहरण के लिए तेलंगाना के श्रम विभाग ने दिसंबर 2016 में जारी किए अपने सर्क्युलर के माध्यम से स्कूलों से अपने उन सभी शैक्षिक व गैर शैक्षणिक कर्मचारियों का पंजीकरण कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ईएसआईसी), के तहत कराने का आदेश पारित किया, जिनका वेतन प्रति माह 21 हजार रुपए से कम है। यह आदेश ईएसआईसी एक्ट में वर्ष 2008 में किए गए उस संसोधन पर आधारित था जिसके तहत स्कूलों के लिए वर्ष 2008 से नियोजित सहयोग राशि को जमा कराना आवश्यक किया गया था। हालांकि ऐसे प्रावधानों को लागू करने के पीछे की नियत तारीफ के काबिल है लेकिन इससे स्कूलों के समक्ष अत्यंत मुश्किल परिस्थितियां तो उत्पन्न हो ही जाती है।

मूलभूत संरचना संबंधी नियम

स्कूली शिक्षा को नियमित (रेग्युलेट) करने के वर्तमान दृष्टिकोण के कारण उत्पन्न होने वाली प्रमुख चुनौतियों में से एक इसके निवेश (इनपुट) आधारित होना है। उदाहरण के लिए, नियमन के केंद्र का भौतिक संरचना (इंफ्रास्ट्रक्चर), शिक्षकों के वेतन, केंद्र व राज्य सरकारों के द्वारा पारित तमाम नियमों के अनुपालन आधारित होना है। वैसे तो ये कानून बड़े व एलीट प्राइवेट स्कूलों के लिए बने प्रतीत होते हैं लेकिन छोटे बजट प्राइवेट स्कूलों को भी उन नियमों का पालन करने को मजबूर होना पड़ता है जबकि इन स्कूलों की पूरी संरचना ही उनसे अलग होती है। उदाहरण के लिए, कक्षा 5 तक संचालित होने वाले स्कूलों के पास मान्यता हासिल करने के लिए 200 स्क्वायर यार्ड भूमि का होना अनिवार्य है, जबकि कक्षा 8 तक चलने वाले स्कूलों के पास 800 स्क्वायर यार्ड भूमि होना आवश्यक है। अनधिकृत (अनऑथराइज्ड) कॉलोनियों व झुग्गी बस्तियों (स्लम) में संचालित होने वाले स्कूलों के पास पड़ोस में एक तो पर्याप्त जमीन की कमी होती है दूसरे, यदि भाग्यवश जमीन उपलब्ध हो भी तो फिर स्कूलों की क्षमता उन्हें खरीदने की नहीं होती है, इसलिए ऐसे क्षेत्रों में अधिकांश स्कूल गैरमान्यता प्राप्त संस्थान के तौर पर संचालित होते हैं। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) से संबद्धता प्राप्त करने के लिए शहरी क्षेत्र में संचालित होने वाले स्कूलों को 1.5 एकड़ जमीन व ग्रामीण क्षेत्र में संचालित होने वाले स्कूलों को 3 एकड़ जमीन की आवश्यकता पड़ती है। बजट प्राइवेट स्कूलों के समक्ष सबसे बड़ी बाधा इतने बड़े भूखंड को हासिल करना ही है इसलिए अधिकांश स्कूल केवल कक्षा 8वीं तक के ही होते हैं। शिक्षा का अधिकार अधिनियम (आरटीई) 2009 भी स्कूलों के लिए मान्यता प्राप्त होना आवश्यक बनाता है, और ऐसा न होने पर उन्हें बंद करने की बात कहता है। भारी आधारभूत संरचनाओं वाले नियमों और बढ़ते नियामक अर्हताओं (रेग्युलेटरी कम्प्लायंसेज) के कारण आरटीई लागू होने के बाद से देश भर में हजारों स्कूल बंद होने को मजबूर चुके हैं। जो स्कूल अर्हताओं को पूरा करने में असमर्थ हैं फिर भी संचालित हो रहे हैं ऐसे स्कूलों पर 1 लाख रुपए का एक मुश्त जुर्माना और प्रतिदिन 10 हजार रुपए के हिसाब से जुर्माने का प्रावधान है। मीडिया में प्रकाशित खबरों के मुताबिक महाराष्ट्र में लगभग 7 हजार स्कूल, पंजाब में 13 सौ स्कूल, कर्नाटक में 786 स्कूल और दिल्ली में 12 सौ स्कूलों को बंद करने का नोटिस प्रदान किया जा चुका है। केंद्रीय मानव संसाधन एवं विकास मंत्रालय ने संसद में पूछे गए एक प्रश्न के जवाब में 2,173 स्कूलों का बंद होना स्वीकार करते हुए इसकी लिखित जानकारी दी है। बहुत

यह लेख बजट प्राइवेट स्कूलों (बीपीएस) के द्वारा मान्यता प्राप्त करने की राह में आने वाली मुख्य नीतिगत चुनौतियों की विस्तार से चर्चा करता है और बताता है कि अधिकांश नियमन निवेश (इनपुट) आधारित हैं और सीखने के परिणाम (लर्निंग आउटकम) पर ध्यान नहीं देता है। लेखकों का मानना है कि चूंकि बीपीएस गरीब अभिभावकों को अपनी सेवाएं प्रदान करते हैं और नियमन की शर्तों को पूरा करने में असमर्थ होते हैं इसलिए निवेश आधारित नियमन बीपीएस के साथ ज्यादाती है। ऐसा होने के कारण ये स्कूल बंद होने को मजबूर हो रहे हैं।



पंजाब में स्कूलों को बंद करने के प्रयास को जब पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय, चंडीगढ़ में चुनौती दी गई तब न्यायालय ने छात्रों के स्कूल जाने के अधिकार की रक्षा करने के लिए स्कूलों को बंद करने के लिए एक निश्चित प्रक्रिया तय कर दी। स्कूलों को बंद करने के फैसले के दौरान पूरी की जाने वाली प्रक्रिया निम्नलिखित है:

एक सार्वभौमिक प्रक्रिया की बजाय, प्राधिकरणों के द्वारा स्कूलों को बंद करने के कारण विशेष और ध्वंसावस्था स्कूल बंद करने को कहने के पूर्व उनमें मौजूद खामियों की सूचना देना आवश्यक है। इसका इसका तात्पर्य यह है कि प्राधिकरणों को सभी स्कूलों का व्यक्तिगत तौर पर निरीक्षण करना होगा, प्रत्येक स्कूलों की खामियों का रिकॉर्ड बनाना होगा और इसके बाद विस्तृत आदेश पारित करना आवश्यक होगा।

शिक्षा विभाग के लिए यह आवश्यक होगा कि वह स्कूल के बंद होने की दशा में प्रभावित होने वाले प्रत्येक छात्र की सूची तैयार करे और अभिभावकों के पसंद के आधार पर पड़ोस के स्कूल (नाम बताना आवश्यक होगा) में दाखिला सुनिश्चित करना होगा। उक्त क्षेत्र में दाखिले के लिए पर्याप्त सीटें उपलब्ध हैं महज ऐसा आश्वासन देना पर्याप्त नहीं होगा।

सारे स्कूल शिक्षण जैसे आदर्श कार्य के ऐवज में दंड प्राप्त करने का खतरा (रिस्क) मोल लेने की बजाए स्वतः ही बंद हो जाना मुनासिब समझा। यदि सरकार ने आधारभूत संरचना वाले नियम को आसान नहीं बनाया तो आने वाले वर्षों में और अधिक संख्या में स्कूल बंद होने वाले हैं। सरकारी स्कूलों के मुफ्त होने व तमाम अन्य सुविधाएं मुफ्त में मिलने के बावजूद अभिभावक अपने बच्चों को फीस चुका कर बजट प्राइवेट स्कूलों में भेजना पसंद कर रहे हैं।

उपरोक्त घटनाओं में छात्रों के शिक्षा के अधिकार की अनदेखी न हो सके इसके लिए पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय द्वारा तय प्रक्रियाओं का भी पालन नहीं किया जा रहा है। कुछ मामलों में तो यह भी देखने को मिल रहा है कि, सरकारें बीपीएस को बंद करने का प्रयास महज इसलिए भी कर रही हैं ताकि पड़ोस के सरकारी स्कूलों में पर्याप्त दाखिला सुनिश्चित हो सके।

अध्यापकों की शैक्षणिक योग्यता और वेतन

शिक्षा का अधिकार (आरटीई) कानून 2009 में शिक्षक होने के लिए बैचलर ऑफ एजुकेशन (बीएड) की योग्यता को अनिवार्य बना दिया गया है। इसके अतिरिक्त, पहले से ही अध्यापनरत समस्त अध्यापकों के लिए अध्यापक पात्रता परीक्षा (टीईटी) उत्तीर्ण करना भी अनिवार्य कर दिया गया है। राज्य सरकारों ने भी उक्त नियमों में रियायत नहीं दी और सभी निजी स्कूलों के अध्यापकों के लिए पांच वर्ष के भीतर टीईटी उत्तीर्ण करना आवश्यक कर दिया।

पहली बात तो ये कि भारत में वर्तमान में प्रशिक्षित शिक्षकों की इतनी बड़ी संख्या मौजूद नहीं है जिससे कि मौजूदा अध्यापकों को उनसे बदला जा सके। दूसरी बात बीपीएस बीएड व टीईटी उत्तीर्ण अध्यापकों को नियुक्त करने का अतिरिक्त खर्च भी वहन नहीं कर सकते।

स्कूलों को अपने शिक्षकों को सामयिक वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुरूप वेतन प्रदान करने को भी कहा गया है। बीपीएस कम आय वाले अभिभावकों द्वारा वहन किए जा सकने वाले फीस प्रकोष्ठ (ब्रैकेट) में मानक गुणवत्ता युक्त शिक्षा प्रदान करने के सस्ते माध्यम हैं। अध्यापकों के वेतन में बढ़ोतरी इन स्कूलों के संचालन के सामाजिक व आर्थिक मॉडल के अनुरूप नहीं है। ऐसा करना स्कूलों को फीस बढ़ाने के लिए बाध्य करना है जो कि अभिभावकों के उस समूह के खर्च करने की क्षमता के अनुरूप नहीं है जिन्हें ये अपनी सेवा प्रदान करते हैं।

व्यावसायिक शुल्क और श्रम कानून

एक तरफ तो स्कूलों को गैर लाभकारी संस्थान माना जाता है, लेकिन दूसरी तरफ उन पर बिजली,

पानी, संपत्ति, भूमि परिवर्तन (लैंड कन्वर्जन) जैसी सुविधाओं के लिए शुल्क व कर वाणिज्यिक दर पर वसूले जाते हैं। सरकार को चाहिए कि गैर सरकारी शिक्षा सेवा प्रदाताओं की स्थिति को स्पष्ट करे। जिन श्रम कानूनों का प्रावधान खतरनाक उद्योग धंधों में कार्यरत मजदूरों की सेहत को ध्यान में रखते हुए किया गया था, उन्हें भी विस्तारित कर स्कूलों पर लागू कर दिया गया। श्रम कानूनों को लागू करने से तात्पर्य ईएसआईसी योजना, एम्प्लॉइज प्रॉविडेंट फंड व ग्रेजुएटी का प्रावधान करना है। ये प्रावधान बहुत बड़ी मांग नहीं है, लेकिन इनसे 'इंस्पेक्टर राज' की वापसी का खतरा अवश्य पैदा हो गया है।

शुल्क नियमन (फी रेग्युलेशन)

एक तरफ तो सेवाओं और सुविधाओं को लेकर अभिभावकों की अपेक्षाएं लगातार बढ़ती जा रही हैं जबकि सरकार की तरफ से स्कूलों के संचालन से संबंधित कड़े व अनिश्चित नियमन का कार्य जारी है। दूसरी तरफ स्कूली फीस में वृद्धि को भी आमतौर पर बहुत अधिक मान लिया जाता है। तमिलनाडू, राजस्थान, कर्नाटक, महाराष्ट्र और पंजाब राज्यों ने स्कूली फीस के नियमन को लेकर कानून पास कर दिया है, यहां तक कि अदालतों द्वारा भी सरकारों से निजी स्कूलों द्वारा लिए जाने वाले फीस को निर्धारित करने संबंधी निर्देश देने के कई मामले सामने आए हैं।

भारत में लगभग 90 प्रतिशत निजी स्कूल बजट प्राइवेट स्कूलों के वर्ग में आते हैं जो सरकारी स्कूलों में होने वाले प्रति छात्र खर्च से भी कम खर्च में शिक्षा प्रदान करते हैं, वह भी तब जबकि प्रति छात्र सरकारी खर्च के हिसाब में केवल आठवीं खर्च ही शामिल किए जाते हैं। उधर, निजी स्कूलों की फीस में जमीन व भवन निर्माण में होने वाले भारी भरकम सहित समस्त वित्तीय निवेश भी शामिल होते हैं। फीस के रूप में बड़ी रकम वसूलने वाले स्कूल सीमित संख्या में ही हैं, उनमें से भी ऐसे स्कूलों की संख्या बेहद कम है जो कभी कभार अकादमिक सत्र के मध्य में फीस निर्धारित करने के दोषी पाए जाते हैं। किंतु फीस नियंत्रण की सबसे ज्यादा मार बीपीएस को झेलनी पड़ती है। यहां तक कि सरकार के पास इतने विस्तृत और विविध क्षेत्र में फीस निर्धारण के लिए आवश्यक अंतर्दृष्टि का आभाव भी है। इसके समाधान के लिए किया जा सकता है कि, किसी भी अकादमिक सत्र में 15 प्रतिशत से अधिक फीस वृद्धि करने वाले स्कूलों के वजहों को देखते हुए इसका अलग से हल निकालने का प्रयास किया जाए।

आरटीई एक्ट 2009 के तहत 25 प्रतिशत सीटों का आरक्षित होना

आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्लूएस) एवं वंचित



तबकों (डिसएडवांटेज ग्रुप) के बच्चों के लिए निजी स्कूलों की 25 प्रतिशत सीटों को आरक्षित रखने के प्रावधान किया गया है, जबकि बीपीएस बड़े पैमाने पर ईडब्लूएस छात्रों को ही अपनी सेवाएं प्रदान करते हैं। चूंकि बीपीएस स्कूलों की संरचना ही कम अथवा मध्यम आय वर्गों को सेवा प्रदान करना है, ऐसे में इन स्कूलों में ईडब्लूएस वर्ग के छात्रों के लिए कोटे का प्रावधान बहुत अधिक मायने नहीं रखता है। आरटीई एक्ट 2009 की धारा (12) (1) (सी) को लागू किए जाने के जमीनी हकीकत के अनुभव इसके अनुपालन में गंभीर खामियों की ओर इंगित करते हैं:

- दाखिले के लिए प्रवेश स्तर (एंट्री लेवल) क्या होगा, पहला दर्जा या नर्सरी इस बाबत कुछ स्पष्ट नहीं है
- किसी क्षेत्र में सरकारी स्कूलों के लिए पड़ोस का मानदंड (नेबरहुड क्राइटेरिया) क्या है
- दाखिले की लंबी प्रक्रिया, कुछ मामलों में तो दाखिले वर्ष भर जारी रहते हैं
- दाखिला न होने की दशा में सीटों को खाली रखना
- सरकार द्वारा प्रति छात्र किए जाने वाले खर्च से कम राशि का स्कूलों को बतौर फीस प्रतिपूर्ति देना
- फीस राशि की प्रतिपूर्ति प्रक्रिया में लंबी देरी
- आय के आधार पर ईडब्लूएस वर्ग के लिए अयोग्य होने के बावजूद अभिभावकों द्वारा फर्जी आय प्रमाण पत्र के आधार पर अपने बच्चों का दाखिला कराना
- दस्तावेजों की प्रमाणिकता आदि के जांच की

जिम्मेदारी स्कूलों के जिम्मे डालना सरकार को ईडब्लूएस वर्ग के छात्रों को शिक्षा उपलब्ध कराने के प्रावधान करना चाहिए न कि छात्रों को स्वयं शिक्षा उपलब्ध कराने का कार्य करना चाहिए। सरकार को चाहिए कि वह ईडब्लूएस वर्ग के छात्रों को कोशे छात्रवृत्ति आदि के माध्यम से सशक्त करे ताकि वे स्कूल जाने में सक्षम हो सकें। फीस प्रतिपूर्ति की राशि सीधे छात्रों को पेशगी (अडवांस) मिलनी चाहिए।

सुरक्षा संबंधी नियम

छात्रों की सुरक्षा से संबंधित मुद्दे सभी के लिए बड़ी चिंता का विषय हैं। लेकिन फिर भी स्कूलों के लिए सुरक्षा संबंधी नियमों का व्यावहारिक, मापने योग्य व किफायती होना आवश्यक है। इसके साथ ही व्यापक हित धारकों के साथ परामर्श के बगैर नियमों में जल्दी जल्दी और बार बार बदलाव नहीं होने चाहिए। पूर्व में, राज्य सरकारों और न्यायालयों द्वारा भवनों की सुरक्षा, आग से सुरक्षा, पर्यावरण सुरक्षा व सुरक्षित परिवहन व्यवस्था से संबंधित नियम हितधारकों से बगैर परामर्श के ही लागू कर दिए गए जिससे इन नियमों के पालन में लगने वाली लागत स्कूलों के लिए बड़ी आर्थिक बोझ बन गई। ये आदेश यहीं तक सीमित नहीं रहे बल्कि मनोचिकित्सकों व काउंसलरों की नियुक्ति, कक्षाओं व गलियारों में सीसीटीवी कैमरा लगाने, बसों में प्रशिक्षित ड्राइवरों व कंडक्टरों की नियुक्ति जैसे तमाम अन्य नियमों तक विस्तारित कर दिए गए। ऐसे ही एक मामले में हरियाणा उच्च न्यायालय ने छात्र छात्राओं के शारीरिक शोषण की घटनाओं को रोकने के लिए स्कूली

बसों में उभयलिंगी समुदाय (ट्रांसजेंडर कम्युनिटी) के कंडक्टरों की नियुक्ति के आदेश जारी किए थे। ऐसे प्रावधान वांछनीय भले हो सकते हैं लेकिन सरकारों को ऐसे आदेशों के अनुपालन कराने के दौरान इनकी संभाव्यता (फिजीबिलिटी) और लागत व लाभ विप्लेशन (कॉस्ट बेनिफीट एनालिसिस) का भी ध्यान अवश्य रखना चाहिए।

वित्तीय सहायता का अभाव

एक तरफ जहां स्कूलों से उत्कृष्ट आधारभूत संरचना (इंफ्रास्ट्रक्चर), अध्यापन और खेल सुविधाओं की अपेक्षा की जाती है वहीं इस क्षेत्र में निवेश लाने के लिए कोई वित्तीय सहायता उपलब्ध नहीं है। चूंकि स्कूल संचालन का कार्य गैर लाभकारी प्रयोजन है इसलिए मौजूदा वित्तीय संस्थान जैसे बैंक इत्यादि स्कूल खोलने व इन्हें विस्तारित करने के लिए कर्ज इत्यादि भी नहीं प्रदान करते। केंद्र व राज्य सरकारों के द्वारा स्कूल खोलने, इसके संचालन व दिन प्रतिदिन के प्रबंधन कार्य में बढ़ते दखल के कारण यह क्षेत्र भ्रष्ट अधिकारियों के और ज्यादा चंगुल में फंस गया है। सरकार को चाहिए कि वह 'स्कूल इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन' (विद्यालय निवेश निगम) जैसी संस्था का निर्माण करे ताकि स्कूली शिक्षा के क्षेत्र में अधिक से अधिक निवेश आने का रास्ता साफ हो सके। इस संदर्भ में पाकिस्तानी मॉडल 'पंजाब एजुकेशन फाउंडेशन' से सबक ली जा सकती है। सरकार को चाहिए कि स्कूली शिक्षा को नौकरशाहों के 'इंस्पेक्टर राज' से मुक्त करने की दिशा में कार्य करे। तकनीकी के अधिकाधिक प्रयोग से मानवीय हस्तक्षेप की गुंजाइश को कम किया जाना चाहिए।

‘अच्छी शिक्षा’ के लिए ‘अच्छे इरादे’ ही काफी नहीं



ओमेश मीणा

लेखक स्वतंत्र टिप्पणीकार हैं

70000 वर्ष पूर्व शुरू हुई ‘संज्ञानात्मक क्रांति’ से मानव समाज की ‘ज्ञान यात्रा’ वैज्ञानिक क्रांति, औद्योगिक क्रांति, सूचना क्रांति जैसे महत्वपूर्ण पड़ावों से गुजरती हुई आज के दौर में पहुँची हैं और शिक्षा इस लंबे मानव जीवन की सहचारिणी रही हैं। हालाँकि प्रारम्भ से ही शिक्षा ‘स्वतंत्र समाज’ का हिस्सा रही हैं लेकिन जबसे ‘राज्य-राष्ट्र’ के सिद्धान्त का उदय हुआ हैं। सभी देशों में यह सरकारी व्यवस्था के एकाधिकार का शिकार बनकर रह गयी हैं। चूँकि किसी भी देश में उपलब्ध गुणवत्तापूर्ण शिक्षा ही वहाँ के मानव संसाधन की गुणवत्ता निर्धारित करती हैं इसलिए शिक्षा के क्षेत्र में सरकार की उपस्थिति को लेकर कम प्रश्न उठे हैं लेकिन प्रमुख उदारवादी चिंतक और नोबेल विजेता अर्थशास्त्री मिल्टन फ्रीडमैन ने सरकारी एकाधिकार की बजाय ‘प्रतिस्पर्धी शिक्षा व्यवस्था’ को ज्यादा सक्षम बताया था। मैं इसी सरकारी एकाधिकार के अधीन पब्लिक स्कूलों की शिक्षा गुणवत्ता का ‘प्रजा फाउंडेशन’ के द्वारा ‘दिल्ली में पब्लिक स्कूलों में शिक्षा की स्थिति’ पर रिलीज किये श्वेत-पत्र के माध्यम से विश्लेषण करूँगा।

हमारे देश की शिक्षा व्यवस्था के प्रमुख मूल्य और उसकी नीति को लेकर सरकार की क्या राय हैं उसे दिल्ली सरकार की शिक्षा निदेशालय की वेबसाइट पर दिए गए परिचय से जानते हैं। इसमें लिखा है —“शिक्षा के पास आर्थिक विकास, सामाजिक परिवर्तन, आधुनिकीकरण और राष्ट्रीय एकता की चाबी है। शिक्षा पर राष्ट्रीय नीति का उद्देश्य एक स्तर तक सभी छात्रों को एक तुलनीय गुणवत्तायुक्त शिक्षा प्रदान करना। सभी चरणों में

इसकी गुणवत्ता में सुधार करने के लिए और विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी पर अधिक ध्यान देने के लिए, शिक्षा प्रणाली के एक क्रांतिकारी परिवर्तन की जरूरत पर यह जोर देता है। शिक्षा निदेशालय आग्रह-पूर्वक इस नीति को लागू करने के लिए प्रयासरत है।”

शायद ही कोई शिक्षा नीति के उपर्युक्त इरादों से असहमति जाहिर करे लेकिन क्या ‘अच्छी शिक्षा’ के लिए ‘अच्छे इरादे’ ही काफी हैं? क्या वर्तमान शिक्षा व्यवस्था आधुनिकीकरण की चाबी हैं? क्या सरकार वाकई गुणवत्ता के प्रति जागरूक हैं? यदि सरकार वाकई में शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर कार्य कर रही हैं तो इन सवालों का जवाब इस नीति के उद्देश्यों में नहीं बल्कि नीति के ‘क्रियान्वयन’ और उससे प्राप्त ‘परिणामों’ में दिखना ही चाहिए। लेकिन समय समय पर आने वाली रिपोर्ट हमारी ‘शिक्षा गुणवत्ता’ पर सवाल खड़े कर जाती हैं।

OECD के PISA सर्वे में 74 भागीदारों में से दो भारतीय राज्य 72 और 73 वें पायदान पर रहे। हर साल प्रकाशित होने वाली ‘असर रिपोर्ट’ हमारी ग्रामीण भारत में दी जा रही शिक्षा की गुणवत्ता की पोल खोल देती हैं और तेजी से ‘पब्लिक स्कूल’ का विकल्प ‘प्राइवेट स्कूलों’ के होने का संकेत देती हैं। असर रिपोर्ट के मुताबिक 2006 से 2013 में ग्रामीण भारत में प्राइवेट स्कूलों में नामांकन 19% से बढ़कर 29% हो गया है। FICCI और EY की मार्च 2014 की संयुक्त रिपोर्ट में देशभर के सम्पूर्ण विद्यार्थियों का 40% नामांकन प्राइवेट स्कूलों में बताया गया है। सरकारी विद्यालयों में इस प्रकार घटते नामांकन पर केंद्र सरकार

के वित्त मंत्रालय द्वारा प्रकाशित आर्थिक सर्वे 2015-16 ने भारी चिंता जताते हुए इसे न सिर्फ 'रोकने की अपितु वापस मोड़ने' की वकालत की है।

आखिर प्राइवेट स्कूलों की तरफ बढ़ते मोह का क्या कारण है? 1999 में प्रकाशित PROBE report के अनुसार अभिभावकों द्वारा प्राइवेट स्कूलों को प्राथमिकता दिए जाने का कारण सरकारी स्कूल व्यवस्था में 'उत्तरदायित्व शृंखला' का कमजोर होना है। जबकि प्राइवेट स्कूल में 'स्कूल प्रबंधन' के माध्यम से शिक्षक बच्चों और उनके अभिभावकों के प्रति उत्तरदायी होते हैं। चूँकि कई अध्ययनों से शिक्षा में किये गए निवेश और उससे प्राप्त निजी और सामाजिक लाभों के मध्य सकारात्मक सम्बन्ध पाया गया है। सिंधारी और मधेस्वरन के वर्किंग पेपर 'The Changing Rates of Return to Education in India: Evidence from NSS Data' में दुनियाभर के सैकड़ों अध्ययनों के आधार पर स्कूलिंग पर लगभग 10% का लाभ पाया गया है और साथ ही 'श्रम बाजार' और 'आय उपार्जन' में भी विद्यालयी शिक्षा का सकारात्मक प्रभाव आँका गया है। इसलिए खासकर गरीब अभिभावक भी बेहतर शिक्षा के लिए अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूलों में भेजने के लिए तत्पर रहते हैं। इन्हीं सभी सवालों के मद्देनजर 'प्रजा फाउंडेशन' ने 'दिल्ली में पब्लिक स्कूलों की शिक्षा स्थिति' पर एक श्वेतपत्र जारी किया है जो दिखलाता है कि सिर्फ ग्रामीण क्षेत्रों में ही नहीं दिल्ली जैसे शहर की भी शिक्षा व्यवस्था गुणवत्ता के स्तर पर सवालों के घेरे में है। भारी भरकम 'पब्लिक खर्च' के बावजूद भी ड्राप आउट की उच्च दर और सरकारी स्कूल में जाने वाले बच्चों में से आधे से ज्यादा द्वारा प्राइवेट ट्यूशन पर खर्च, शिक्षा और शिक्षक दोनों की गुणवत्ता से अभिभावकों की असंतुष्टि जैसे मुद्दे सामने आये हैं।


विद्यालयी शिक्षा की गुणवत्ता का सबसे प्रमुख पैमाना उनमें होने वाले नामांकन हैं लेकिन 2013-14 से 2014-15 के बीच दिल्ली नगर निगम और दिल्ली सरकार दोनों के विद्यालयों में लगभग 1 लाख 50 हजार नामांकन कम हुए हैं। यदि पहली कक्षा के नामांकन पर नजर डाले तो 2010-11 और 2015-16 के बीच लगभग 45 हजार की कमी आयी है। नामांकन में गिरावट साफ तौर पर राजकीय विद्यालयों द्वारा बच्चों को अपनी और आकर्षित नहीं किये जाने का संकेत है। यहाँ तक की राज्य सरकार के स्कूलों में 2013-14 और 2014-15 के बीच दाखिला लेने वाले

कुछ छात्रों में से 0.7% विद्यार्थियों ने नामांकन के अगले साल वहाँ पढ़ाई जारी नहीं रखी।

ड्रॉपआउट भारतीय शिक्षा व्यवस्था के लिए एक बड़ी समस्या रही है और दिल्ली में यह जारी है। दिल्ली के नगर निगम और राजकीय स्कूलों में सत्र 2015-16 के दौरान 1 लाख 45 हजार विद्यार्थी ड्राप आउट हुए हैं जो कि बहुत चिंताजनक है। पूर्वी दिल्ली नगर निगम में तो ड्राप आउट दर लगभग 18% रही है। यूरोपीय कमीशन की शिक्षा गुणवत्ता का एक बड़ा मानक 'सफल और संक्रमण' है जहाँ प्राथमिक शिक्षा से उच्च माध्यमिक शिक्षा की ओर सफल गमन जरूरी है। इस पैमाने के अनुसार देखे तो 2014-15 में 45% कक्षा 9 से कक्षा 10 में और लगभग 35% कक्षा 11 से कक्षा 12 में नहीं जा सके। ये बहुत ही निराशाजनक आंकड़े हैं क्योंकि ये सभी विद्यार्थी 'सतत और समग्र मूल्यांकन' के दौर को पार करके पहुँचे हैं। इससे यही निष्कर्ष निकाला जाना चाहिए कि सरकारी विद्यालयों में उनको स्तरीय शिक्षण नहीं मिला था।

बच्चों की शिक्षा के प्रमुख निवेशक और शेयरहोल्डर बच्चों के अभिभावक ही होते हैं और ऐसे में उनकी 'विद्यालय की शैक्षिक गुणवत्ता' के प्रति राय बहुत मायने रखती है। प्रजा फाउंडेशन ने ही हंसा रिसर्च के लिए पब्लिक स्कूलों में जाने वाले बच्चों के अभिभावकों पर किये गए सर्वे में पाया कि 52% अभिभावक अपने बच्चों को प्राइवेट ट्यूशन भी करवाते हैं। सरकार द्वारा प्रत्येक बच्चे पर लगभग 43 हजार खर्च किये जाने के बावजूद भी यदि उन्हें प्राइवेट ट्यूशन की दरकार है तो निस्संदेह जन-संसाधनों के सार्थक उपयोग नहीं किये जाने की समस्या को सामने आती है। अभिभावकों ने पब्लिक स्कूलों से नाखुश होने के 3 प्रमुख कारणों में बेहतर भविष्य की कम गुँजाइश होना, शिक्षा की गुणवत्ता बहुत अच्छी नहीं होना और शिक्षकों के अच्छे नहीं होना बताया है। यही पर शिक्षा के क्षेत्र में 'चयन और प्रतिस्पर्धा' की जरूरत महसूस होती है जिससे शिक्षा में गुणवत्ता आ सके और शिक्षकों की जिम्मेदारी बच्चों और अभिभावकों के प्रति हो सके। अनीता जोशुआ ने 16 जनवरी 2014 को THE HINDU में अपने लेख में प्राथमिक शिक्षा में प्राइवेट ट्यूशन पर योजना आयोग के तत्कालीन उपाध्यक्ष मोंटेक सिंह अहलूवालिया की चिंता को निम्न शब्दों में जाहिर किया है— "जबकि राज्य को स्कूल शिक्षा में पैसा लगाते रहना चाहिए, क्या यह सब सरकारी स्कूल में ही जाना चाहिए?" ऐसे

OECD के PISA सर्वे में 74 भागीदारों में से दो भारतीय राज्य 72 और 73 वें पायदान पर रहे। हर साल प्रकाशित होने वाली 'असर रिपोर्ट' हमारी ग्रामीण भारत में दी जा रही शिक्षा की गुणवत्ता की पोल खोल देती है और तेजी से 'पब्लिक स्कूल' का विकल्प 'प्राइवेट स्कूलों' के होने का संकेत देती है। असर रिपोर्ट के मुताबिक 2006 से 2013 में ग्रामीण भारत में प्राइवेट स्कूलों में नामांकन 19% से बढ़कर 29% हो गया है।



में 'सेंटर फॉर सिविल सोसाइटी' द्वारा सुझाए गए वाउचर व्यवस्था और कम लागत वाले सामुदायिक और बजट स्कूल बेहतर विकल्प साबित हो सकते हैं जो कि RTE की चपेट में आने से बंद होने की कगार पर हैं!

इस श्वेत पत्र में एक चौंकाने वाला खुलासा हमारे जन-प्रतिनिधियों का शिक्षा के प्रति अनुत्तरदायी और उपेक्षित रवैया। पब्लिक सर्विस का महत्वपूर्ण विषय होने के बावजूद भी 31% पार्षद (अप्रैल 2015 से मार्च 2016) और 40% विधायकों (मानसून और शीतकालीन सत्र 2015) ने शिक्षा से संबंधित कोई सवाल नहीं पूछा जबकि ड्राप आउट पर सिर्फ एक सवाल पूछा गया। प्रजा फाउंडेशन का यह श्वेत-पत्र निस्संदेह

दिल्ली सरकार और दिल्ली नगर निगम की लोक शिक्षा व्यवस्था में बेहतर उत्तरदायित्व और पारदर्शिता की माँग बढ़ाएगा और 'गुणवत्तापूर्ण' शिक्षा के आग्रह को बजट प्लानिंग से जोड़े जाने पर जोर देगा ताकि जन-संसाधनों का कुशल एवं लाभप्रद उपयोग किया जा सके। 2015-16 के 'आर्थिक सर्वेक्षण' ने जिस प्रकार 'असर रिपोर्ट' का संज्ञान लेते हुए 'शिक्षा की घटती गुणवत्ता' पर चिन्ता जताते हुए सरकार द्वारा तुरंत प्रभाव से सार्थक कदम उठाने के लिए आह्वान किया है वैसे ही प्रजा फाउंडेशन के इस श्वेत-पत्र का संज्ञान दिल्ली सरकार और दिल्ली नगर निगम को लेना चाहिए। भारी भरकम सरकारी खर्च के बावजूद भी

अभिभावकों द्वारा प्राइवेट ट्यूशन पर खर्च करना 'लोक सेवाओं में अविश्वास' को बढ़ावा देता है इसलिए शिक्षा नीति के हर पहलू में अभिभावकों की भागीदारी सुनिश्चित की जाए और 'विद्यालय प्रबंधन समिति' को क्रियाशील और सक्षम संस्था के रूप में बनाये जाने का प्रयास किया जाना चाहिए। चूँकि शिक्षा का अधिकार भारतीय संविधान के अनुसार 'जीवन के अधिकार' का अभिन्न हिस्सा है ऐसे में कमजोर या गुणवत्ताहीन शिक्षा नागरिकों के मूल अधिकार का हनन होगा और यह राज्य की जिम्मेदारी है वह सिर्फ सुलभ और सस्ती शिक्षा ही उपलब्ध करवाकर ही अपनी जिम्मेदारी से मूंह न मोड़े बल्कि उस शिक्षा में गुणवत्ता को भी सर्वसुलभ और सस्ता बनाये।



प्रांतीय बैठकें

बजट प्राइवेट स्कूलों की प्रेस वार्ता

दिनांक: 30 जनवरी 2017

स्थान: प्रेस क्लब ऑफ इंडिया



नेशनल इंडिपेंडेंट स्कूल्स अलायंस (निसा), को-ऑर्डिनेशन कमेटी ऑफ पब्लिक स्कूल्स (सीसीपीएस) और दिल्ली इंडिपेंडेंट स्कूल्स अलायंस (दिसा) ने एक प्रेस वार्ता को आयोजित कर बजट प्राइवेट स्कूलों द्वारा झेली जा रही समस्याओं और नीतिगत चुनौतियों के मुद्दे को मीडिया के समक्ष उठाया। दिल्ली के शिक्षा मंत्री श्री मनीष सिसोदिया के साथ सितंबर 2016 में हुई पहली बड़ी बैठक और इस दौरान कुछ ठोस कार्रवाई करने के उनके वादे के बाद स्कूलों की समस्याओं को उजागर करने और मुद्दों पर जोर देने का यह हमारा दूसरा प्रयास था। प्रेस वार्ता के दौरान अलायंस के द्वारा चलाई जा रही एडवोकेसी गतिविधियों की जानकारी दी गई। समय समय पर हम अपनी समस्याएं सरकार के सामने उठाते रहते हैं लेकिन सरकार के द्वारा अब तक कोई भी ठोस कदम नहीं उठाया गया है।

बच्चों की सुरक्षा के मुद्दे पर महाराष्ट्र प्रांत की बैठक

दिनांक: 7 फरवरी 2017

स्थान: रबींद्र ऑडिटोरियम



निसा सदस्य, प्राइवेट अनएडेड स्कूल्स मैनेजमेंट एसोसिएशन (पीयूएसएमए) द्वारा एक प्रांतीय सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस दौरान सर्वश्रेष्ठ स्कूल बस चालकों, बस परिचालकों व स्कूल परिवहन प्रबंधकों को सम्मानित करने के लिए चाइल्ड सेफ्टी अवार्ड नामक एक पुरस्कार समारोह का भी आयोजन किया गया। इस सम्मेलन में एक हजार की तादात में स्कूलों के बस चालकों, प्रधानाचार्यों और बसों के रखवालों (केयर टेकर्स) को शिक्षा के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए चाइल्ड सेफ्टी अवार्ड से सम्मानित किया गया। निसा के अध्यक्ष श्री कुलभूषण शर्मा, निसा के पॉलिसी एडवाइजर श्री अमित चंद्रा और राष्ट्रीय संयोजक श्री एस आर थॉमस एंटोनी ने भी सम्मेलन के दौरान उपस्थित थे।

एडवोकेसी मीटिंग

महाराष्ट्र के शिक्षा सचिव श्री नंद कुमार के साथ मुलाकात

दिनांक: 13 फरवरी 2017

स्थान: मुंबई सचिवालय



निसा के सदस्यों ने महाराष्ट्र के शिक्षा सचिव श्री नंद कुमार के साथ एक मुलाकात की। निसा के सदस्यों और पीयूएसएमए के सदस्यों ने शिक्षा मंत्री श्री विनोद तावडे के द्वारा महाराष्ट्र में स्कूल वाउचर मॉडल लागू करने के बाबत जतायी गई प्रतिबद्धता के संबंध में चर्चा की। प्रतिनिधि मंडल ने शिक्षा सचिव को नई शिक्षा नीति व बजट प्राइवेट स्कूलों द्वारा सामना किए जाने वाले नीतिगत चुनौतियों से संबंधित दस्तावेज भी सौंपे। इस मौके पर सदस्यों ने देश में अच्छी और गुणवत्ता युक्त शिक्षा के लिए शिक्षा के क्षेत्र की वर्तमान नीतियों में परिवर्तन की आवश्यकता की व्याख्या की। मुलाकात के दौरान स्कूल वाउचर मॉडल का विचार क्या है और यह किस प्रकार शिक्षा प्रणाली में परिवर्तन ला सकता है के संदर्भ में भी चर्चा हुई। श्री लुईस मिरांडा, श्री कुलभूषण शर्मा, श्री भरत मलिक, श्री अमित चंद्रा, श्री हरजिंदर सिंह, श्री अविनाश चंद्रा और श्री थॉमस एंटोनी ने भी

इस मुलाकात में हिस्सा लिया।

जम्मू और कश्मीर अंतर्राज्यीय सम्मेलन

दिनांक: 19 जनवरी 2017



स्थान: जे एंड के पब्लिक स्कूल, जम्मू
19 जनवरी को निजी स्कूलों का एक दिवसीय अंतर्राज्यीय सम्मेलन आयोजित किया गया। सम्मेलन की अध्यक्षता जे एंड के प्राइवेट स्कूल्स एसोसिएशन के अध्यक्ष श्री कमल गुप्ता ने की। निसा के अध्यक्ष श्री कुलभूषण शर्मा, निसा के सलाहकार संयोजक (एडवोकेसी कोऑर्डिनेटर) श्री थॉमस एंटनी, ज्वाइंट एक्शन कमिटी, श्रीनगर के अध्यक्ष श्री जी एन वार व सभी जिलों के प्रमुख आदि भी सम्मेलन के दौरान उपस्थित रहें। सम्मेलन के दौरान निजी स्कूलों को एक मुक्त मान्यता प्रदान करने, निजी स्कूलों को चलाने के लिए एसएसए और आरएमएसए मानकों के अनुरूप भौतिक संरचना की आवश्यकता, स्कूल फीस की अधिकतम सीमा सरकार द्वारा निश्चित करने, निजी स्कूलों को वाणिज्यिक कानूनों से छूट दिलाने, श्रम कानूनों, सिंगल विंडो क्लियरेंस प्रणाली सुनिश्चित करने संबंधी मांग पत्र को प्रमुखता से उल्लेखित किया गया।

असम राज्य सम्मेलन

दिनांक: 24 जनवरी 2017

स्थान: गुवाहाटी फिल्म इंस्टिट्यूट



निसा की राज्य शाखा बैकिंग विद्यालय समानांतरक्षी ने विभिन्न चुनौतियों का सामना करने को मजबूर असम के कम शुल्क वाले (अफोर्डेबल) निजी स्कूलों के मुद्दे पर प्रांत स्तरीय सम्मेलन का आयोजन किया। इस एक दिवसीय सम्मेलन के दौरान असम के कम शुल्क वाले स्कूलों की विभिन्न समस्याओं पर विचार विमर्श किया गया। सम्मेलन के दौरान संगठन को मजबूती प्रदान करने के लिए स्कूलों के संगठन के स्वरूप को विकेंद्रीकृत करने की रणनीति पर भी चर्चा की गई। निसा टीम की ओर से अध्यक्ष श्री कुलभूषण शर्मा, व सलाहकार श्री ए एस महाजन व निसा कोऑर्डिनेटर श्री थॉमस एंटनी ने इस सम्मेलन में हिस्सा लिया।

कैथल, हरियाणा में शिक्षा विरोधी नीतियों के खिलाफ प्रदर्शन

दिनांक: 26 मार्च 2017



निसा की राज्य शाखा हरियाणा प्राइवेट स्कूल्स वेलफेयर एसोसिएशन ने हरियाणा के कैथल जिले में राज्य स्तरीय विरोध प्रदर्शन का आयोजन किया। विरोध प्रदर्शन में बड़ी संख्या में स्कूल संचालक शरीक हुए और राज्य की शिक्षा विरोधी नीतियों के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद की। इस दौरान फेडरेशन ने 134 ए के तहत दाखिले के प्रावधान, निजी स्कूलों के लिए संपत्ति कर, बस पासिंग अपग्रेडेशन आदि नीतियों में बदलाव की मांग की।

श्री अनिल स्वरूप, शिक्षा सचिव, एमएचआरडी से मुलाकात

दिनांक: 5 जनवरी 2017

स्थान: शास्त्री भवन, नई दिल्ली



निसा सदस्यों ने मानव संसाधन विकास मंत्रालय के शिक्षा सचिव श्री अनिल स्वरूप के साथ एक मुलाकात की। इस दौरान निसा सदस्यों ने देश भर के बजट प्राइवेट स्कूलों के समक्ष उत्पन्न हुई समस्याओं पर चर्चा की और एक बेहतर शिक्षा नीति के बाबत मांग पत्र सौंपा।

volume 3 issue 1 | NISA Namaskar | 15



भारतीय शिक्षा व्यवस्था को जियो क्रांति की दरकार!

नितेश आनंद

एडवोकेसी एसोसिएट, सेंटर फॉर सिविल सोसायटी

रिलायंस ने 1 सितंबर 2016 को अपनी दूरभाष सेवा (टेलीकम्यूनिकेशन सर्विस) 'जियो' का लोकार्पण किया। इसके तहत फोन पर निशुल्क बातचीत करने और ग्राहकों के लिए 4 जी इंटरनेट डेटा प्लान उपलब्ध है। इस योजना का लाभ उठाने के लिए आवश्यक रिलायंस जियो का सिम हासिल करने के लिए

पूरा देश उमड़ पड़ा और कतारबद्ध होकर खड़ा हो गया। देश के विभिन्न इलाकों की मेरी यात्रा के दौरान मैंने पाया कि मेरे मित्रों सहित बहुत सारे लोग हमेशा ऑनलाइन रहते थे खुशी खुशी निशुल्क 4 जी डेटा सर्विस का इस्तेमाल कर रहे थे। ऐसा होते हुए अब छह महीने से ज्यादा का समय बीत चुका है। जियो ने हाल ही में

अपनी सेवा के बदले 100 रुपये प्रति माह के बेसिक कैपिटेशन चार्ज लेने की घोषणा की जो कि अप्रैल 2017 से लागू हो गयी। जीवन भर मैं एयरटेल का ग्राहक रहा हूँ और मेरे लिए अब तक जियो की सुनामी से न जुड़ना आश्चर्य करने वाला था। मैं अपने दिमाग को इससे दूर रखने की भरसक कोशिश कर रहा था और एयरटेल

के साथ अपना भरोसा बनाए रखना चाहता था। हालांकि तुलनात्मक रूप से ज्यादा कीमत चुकाना भी सही नहीं था।

जनवरी 2017 में मैंने एक नया फोन खरीदा और जियो से जुड़ने का सोचा, लेकिन इससे पहले की मैं ऐसा कर पाता, एयरटेल ने सभी आवश्यक लाभ कम कीमत में उपलब्ध कराने वाला प्लान दिया। मैं खुशी खुशी एयरटेल के साथ बना रहा और मेरा पुराना नंबर भी बरकरार रहा वह भी ज्यादा बेहतर कीमत पर। इस पूरे वाक्य के दरम्यान मैं यह सोचता रहा कि वास्तव में बतौर एक उपभोक्ता मेरी ख्वाहिश थी क्या?

कम लागत में बेहतर सेवा मेरी सूची में शीर्ष पर थी। दरअसल, जियो की बाजार आधारित प्रतिस्पर्धा वाली व्यवस्था ने एयरटेल द्वारा मुझे यह सब उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया था।

यहां तक कि सरकार द्वारा संचालित बीएसएनएल / एमटीएनएल ने भी इस परिपाटी का अनुसरण किया और कीमतों को घटाते हुए अपनी सेवा में बेहतरी करने को मजबूर हुआ। जबकि इस सारी प्रक्रिया का नियमन व निरीक्षण एक अन्य स्वतंत्र सरकारी प्राधिकरण द टेलीकॉम रेग्युलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया (ट्राई) द्वारा किया जा रहा था ताकि किसी प्रकार की गड़बड़ी न होना सुनिश्चित किया जा सके।

अब भारतीय शिक्षा प्रणाली के मामले को देखते हैं। यहां हितधारकों (स्टेक होल्डर्स) से संबंधित सारी नीतियां, नियमन व काम काज के समस्त तौर तरीके (कार्यचर्या / फ्रेमवर्क) सभी स्तर पर सरकार ही तय करती है। यही विभाग इसे कोष उपलब्ध कराती है और वित्त प्रदान करती है। सबसे बड़ी बात यह है वही अधिकारी सरकारी स्कूलों के माध्यम से शिक्षा से जुड़े प्रावधान तैयार करने के लिए भी जिम्मेदार होते हैं। इस क्षेत्र में भारत के अन्य बड़े सेवा प्रदाताओं विशेषकर कम लागत वाले बजट प्राइवेट स्कूलों का नियमन, समीक्षा व प्रबंधन सरकार द्वारा ही किया जाता है। बजट प्राइवेट स्कूल ऐसे स्कूल होते हैं जहां प्रति छात्र लागत उसी क्षेत्र में संचालित होने वाले सरकारी स्कूलों की तुलना में कम होता है। चूंकि छात्रों की सीखने की क्षमता (लर्निंग आउटकम) में सुधार के उद्देश्य से देश में सीखने की क्षमता के मूल्यांकन का प्रावधान है, जो बताते हैं छात्रों के सीखने की क्षमता के मामले में बजट प्राइवेट स्कूल सरकारी स्कूलों की तुलना में लगातार बेहतर प्रदर्शन कर रहे हैं। इस प्रकार,

यह स्पष्ट है कि इन बजट प्राइवेट स्कूलों की प्रतिस्पर्धा सीधे सीधे सरकारी स्कूलों के साथ है। भारत में, सरकारी स्कूलों की तुलना में बजट प्राइवेट स्कूलों में अधिक बच्चे पढ़ते हैं। असर (एएसईआर) 2014 की रिपोर्ट के मुताबिक वर्ष 2010 से 2014 के बीच सरकारी स्कूलों में दाखिले 6.2 प्रतिशत तक कम हो गए जबकि इसी दौरान निजी स्कूलों में दाखिले 6.5 प्रतिशत तक बढ़ गए। इस घटना ने छात्रों और अभिभावकों के हितों की कीमत पर अनावश्यक युद्ध पैदा कर दिया। कम कीमत वाले गैर सहायता प्राप्त निजी स्कूल सरकारी स्कूलों के एक विकल्प के तौर पर उभरे हैं, विशेषकर, शहरों और ग्रामीण इलाकों के गरीब अभिभावकों के लिए। यूपी और हरियाणा जैसे बड़े राज्यों के 50 प्रतिशत से ज्यादा छात्रों ने गैर सहायता प्राप्त निजी स्कूलों में दाखिला लिया है।

इसके अलावा, मूल्यांकन व समीक्षा का कार्य भी उसी सरकारी विभाग द्वारा किया जाता है। यह किसी भी सूरत में स्वस्थ प्रतिस्पर्धा की सम्यक भावना नहीं कही जा सकती। अभिभावकों के पास आकर विकल्प ही क्या है? क्या एक बेहतर और स्वस्थ प्रतिस्पर्धा वाले शैक्षिक माहौल की स्थापना नहीं की जा सकती जो हमारे बच्चों के संपूर्ण शैक्षणिक परिणाम की गुणवत्ता में सुधार सुनिश्चित कर सके।

मुझे शिक्षा के क्षेत्र में सरकारी भूमिकाओं को अलग अलग करने वाले ट्राई के समान प्राधिकरण वाले विकल्प प्राप्त करना पसंद होगा जो संभवतः जियो जैसे मॉडल को शिक्षा के क्षेत्र में आना प्रोत्साहित करे और शिक्षा के क्षेत्र में बड़ा बदलाव ला सके, तथा जो विकल्प की स्वतंत्रता और प्रतिस्पर्धा को छात्रों के सीखने की प्रवृत्ति में बदलाव ला सके। मुझे स्वतंत्रता और विकल्प पसंद है और मुझे पक्का विश्वास है कि आपको भी यही पसंद होगा। सरकारी भूमिकाओं को अलग अलग करना इस ओर पहला कदम बढ़ाने का आसान तरीका हो सकता है।

देश के एक नागरिक के तौर पर मैं भारत में मनपसंद शिक्षा की मांग करता हूं।



भारत में, सरकारी स्कूलों की तुलना में बजट प्राइवेट स्कूलों में अधिक बच्चे पढ़ते हैं। असर (एएसईआर) 2014 की रिपोर्ट के मुताबिक वर्ष 2010 से 2014 के बीच सरकारी स्कूलों में दाखिले 6.2 प्रतिशत तक कम हो गए जबकि इसी दौरान निजी स्कूलों में दाखिले 6.5 प्रतिशत तक बढ़ गए।



नई शिक्षा नीति में कौन कौन से प्रावधान होने चाहिए?

- नियामक, वित्त प्रदाता व शिक्षा प्रदाता की सरकार की भूमिका को अलग अलग करें
- नियंत्रण की बजाए स्वायत्तता को प्रोत्साहित करें
- सभी शिक्षा प्रदाताओं की तीसरे पक्ष से समीक्षा हो
- सभी के लिए समान नियम हों
- छात्रों के सीखने और अभिभावकों के लिए विकल्प पर ध्यान केंद्रीत हो



फीस वृद्धि में सरकारी दखल से समस्या का समाधान नहीं

अविनाश चंद्रा

लेखक www.azadi.me के संपादक हैं

सरकारी जमीन पर बने प्राइवेट स्कूलों द्वारा फीस बढ़ाने के एक मामले में फैसला सुनाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने इसके लिए सरकार की अनुमति को आवश्यक बताया है। इस बात से इंकार नहीं किया जा सकता कि स्कूली फीस एक बड़ा मुद्दा है। सामाजिक मुद्दा भी और राजनैतिक

मुद्दा भी। एक तरफ स्कूल प्रबंधन अपने खर्चों का हवाला देते हुए फीस वृद्धि को न्यायसंगत साबित करने की कोशिश करता है वहीं अभिभावक और उनके साथ साथ सरकार इसे स्कूलों की मनमानी बताती है। अभिभावक चाहते हैं कि स्कूली फीस के मामले में सरकार दखल दे और स्कूलों की

मनमानी से उन्हें निजात दिलाए। शिक्षा के क्षेत्र में कार्यरत कुछ एनजीओ व स्वयंसेवी समूह भी सरकारी दखल के लिए दबाव बनाते देखे जा सकते हैं। लेकिन, निजी स्कूलों के कामकाज में सरकारी दखल की अलग समस्याएं हैं।

पाठ्यक्रम निर्धारण में यह दखल पहले से

मौजूद है और सरकार अध्यापकों के वेतन को सरकारी अध्यापकों के बराबर कराने की पहल भी कर ही चुकी है। यह बात और है कि स्कूलों के विरोध के कारण इस अव्यवहारिक फैसले का अनुपालन अभी नहीं कराया जा सका है। किंतु एक बार फीस निर्धारण में सरकारी दखल हो गया तो सरकारी महकमा अध्यापकों के वेतन और सेवा शर्तों आदि पर भी हावी हो जाएगा। तब स्कूल मैनेजमेंट का लापरवाह टीचरों के विरुद्ध कार्रवाई करना कठिन हो जाएगा। पूरे देश में सरकारी स्कूलों की बदहाली बताती है कि सरकारी दखल से प्राइवेट स्कूलों का भी यही हाल हो जाएगा। शिक्षा के अधिकार का कानून पहले से ही प्राइवेट स्कूलों की स्वायत्तता को संकट में डाले हुए है। 25 प्रतिशत गरीब बच्चों को आयु के अनुसार कक्षा में प्रवेश देने और फीस की प्रतिपूर्ति के लिए सरकार पर आश्रित हो जाने के बाद से स्कूल प्रबंधन यहां भी बैकफुट पर है। फीस पर नियंत्रण से यह सिलसिला कहीं और ही पहुंच जाएगा। सरकारी महकमे के लिए निजी स्कूलों पर नियंत्रण लाभ का सौदा है। उनके लिए नं० 2 की आय का एक और स्रोत खुल जाएगा और इंस्पेक्टर राज की वापसी की संभावना बढ़ेगी।

दरअसल, समस्या का एक कारण बड़ी बिल्डिंग और ऊंची फीस वसूल करने वाले स्कूलों में शिक्षा की क्वालिटी अच्छी होती है, वाली अभिभावकों की मानसिकता का होना भी है। जबकि सच्चाई यह है कि ऊंची फीस और अच्छी शिक्षा का कोई निश्चित संबंध नहीं है।

युनिवर्सिटी ऑफ सदर्न कैलिफोर्निया के प्रो. जान मैकडरमॉट कहते हैं कि 'एक न्यूनतम स्तर के आगे प्रति स्टूडेंट खर्च बढ़ाने से टेस्ट में सफलता पर प्रभाव नहीं पड़ता है। शैक्षिक प्रदर्शन में घरेलू पृष्ठभूमि और दूसरी सामाजिक स्थितियों की भूमिका ज्यादा होती है।' अमेरिका में वाबाश नैशनल स्टडी द्वारा 10 कालेजों का अध्ययन किया गया जिनकी शैक्षणिक उपलब्धि बराबर थी। पाया गया कि इनके प्रति स्टूडेंट खर्च में 6 गुने तक का अंतर था।

भारत के संदर्भ में ऐसे अध्ययन उपलब्ध नहीं हैं परंतु मुझे भरोसा है कि यहां भी जमीनी स्थिति ऐसी ही है। जरूरत स्कूलों की क्वालिटी रैंकिंग की है, जिस प्रकार होटलों को स्टार रैंकिंग दी जाती है। सरकार को चाहिए कि ऐसी रैंकिंग की व्यवस्था को प्रोत्साहित करे और अपनी वेबसाइट पर इसे प्रदर्शित करे ताकि बच्चे का दाखिला कराने से पूर्व अभिभावक को स्कूल की वास्तविकता का पता चल सके। स्कूलों की फीस वृद्धि में हस्तक्षेप करने की बजाए फीस वृद्धि को सत्र के बीच में कभी भी की बजाए सत्रारंभ में

करने का नियम बनाना चाहिए ताकि अभिभावक अगर चाहें तो कम फीस वाले स्कूल में बच्चे का दाखिला करा सकें। परंतु स्कूलों की स्वायत्तता में दखल नहीं देना चाहिए।

स्कूलों की मनमानी का एक कारण 'अच्छे' स्कूलों की अपर्याप्त संख्या भी है। सरकार को नए स्कूलों के खुलने का मार्ग प्रशस्त करना चाहिए और इसके लिए नियम कानूनों को सरल बनाने की आवश्यकता है। पर्याप्त संख्या में स्कूल होने पर मुनाफाखोरी अंततः बाजार द्वारा नियंत्रित कर ली जाएगी। समय बीतने के साथ कई दूसरे स्कूल खड़े हो जाएंगे, जो कम फीस में उतनी ही अच्छी शिक्षा उपलब्ध करा देंगे। अंततः इन स्कूलों की होड़ से ही अग्रणी स्कूलों की फीस पर लगाम लगेगी। बाजार को फीस पर नियंत्रण करने देना चाहिए। इससे शिक्षा की गुणवत्ता पर दुष्प्रभाव नहीं पड़ेगा।

स्कूलों को सरकार द्वारा रियायती दर पर भूमि उपलब्ध कराई जाती है और आयकर में छूट दी जाती है। इन स्कूलों की फीस सरकार, पैरेंट्स तथा मैनेजमेंट, तीनों की भागीदारी से नियंत्रित की जानी चाहिए। इससे सरकारी सुविधाओं के दुरुपयोग से बचा जा सकेगा। इनके खातों का आडिट कराकर उसे सार्वजनिक करना चाहिए। लेकिन, सभी प्राइवेट स्कूलों की फीस पर नियंत्रण करने के चक्कर में हमें शिक्षा की क्वालिटी का सत्यानाश नहीं होने देना चाहिए।

स्कूलों की मनमानी का एक कारण 'अच्छे' स्कूलों की अपर्याप्त संख्या भी है। सरकार को नए स्कूलों के खुलने का मार्ग प्रशस्त करना चाहिए और इसके लिए नियम कानूनों को सरल बनाने की आवश्यकता है। पर्याप्त संख्या में स्कूल होने पर मुनाफाखोरी अंततः बाजार द्वारा नियंत्रित कर ली जाएगी। समय बीतने के साथ कई दूसरे स्कूल खड़े हो जाएंगे, जो कम फीस में उतनी ही अच्छी शिक्षा उपलब्ध करा देंगे। अंततः इन स्कूलों की होड़ से ही अग्रणी स्कूलों की फीस पर लगाम लगेगी।



भूमि से संबंधित मानदंडों का गणित

एड. प्रशांत नारंग

(लेखक सर्वोच्च न्यायालय के अधिवक्ता हैं)

शिक्षा निदेशालय ने 22 मार्च 2013 को एक परिपत्र (सर्क्युलर) जारी कर अनधिकृत कॉलोनिजों में संचालित होने वाले प्राइमरी स्कूलों व मिडिल स्कूलों के लिए भूमि की न्यूनतम सीमा की अनिवार्यता में ढील दी थी। वर्तमान में यह सीमा प्राइमरी स्कूलों के लिए 200 स्क्वायर यार्ड और मिडिल स्कूलों के लिए 700 स्क्वायर मीटर (857 स्क्वायर यार्ड) है।

8 कमरों वाले एक स्कूल के लिए 700 स्क्वायर मीटर जमीन की अनिवार्यता बहुत अधिक है। यदि 5 कमरों के स्कूल के लिए 200 स्क्वायर यार्ड जमीन अनिवार्य है तो इस हिसाब से 3 और कमरों के लिए 120 स्क्वायर यार्ड अतिरिक्त जमीन की आवश्यकता होनी चाहिए। इस प्रकार, मिडिल स्कूल चलाने के लिए प्राइमरी स्कूल के लिए आवश्यक जमीन की अनिवार्यता से चार गुना अतिरिक्त जमीन (700 स्क्वायर मीटर = 837 स्क्वायर यार्ड) की अनिवार्यता तय करना अनुचित और मनमानी पूर्ण है।

उसी परिपत्र (सर्क्युलर) की उप धारा 5 कक्षा के कमरों के आकार की गणना के लिए दो आंकलन विधियों (एल्गोरिद्म) को आधार बनाया गया है

1. कक्षा की संख्या के आधार पर – मान्यता प्राप्त करने के लिए एक प्राइमरी स्कूल में कक्षा के कमरों का आकार कम से कम 30 स्क्वायर मीटर होना चाहिए। मिडिल स्कूल के मामले में कक्षा के कमरों का आकार 40 स्क्वायर मीटर होना चाहिए। इस गणित के हिसाब से एक मिडिल स्कूल चलाने के लिए आवश्यक जमीन

की अनिवार्यता $(5 \times 30) + (3 \times 40) = 270$ स्क्वायर मीटर = 323 स्क्वायर यार्ड होनी चाहिए।

2. छात्रों की संख्या के आधार पर कक्षा के कमरों का आकार निर्धारित आकार से कम होने की दशा में, कक्षा में छात्रों की संख्या इस प्रकार निश्चित की जानी चाहिए जिससे कि 60 स्क्वायर फीट क्षेत्र शिक्षण कार्य के लिए छोड़ कर प्रत्येक छात्र को कक्षा में 10 स्क्वायर फीट की जगह प्राप्त हो सके।


आंकलन की दोनों विधियों (एल्गोरिद्म) के हिसाब से मिडिल स्कूल के संचालन के लिए 320 स्क्वायर यार्ड से 325 स्क्वायर यार्ड जमीन की ही आवश्यकता पड़ती है। इस प्रकार, यह स्पष्ट है कि नीति निर्धारकों के विचार से भी अनधिकृत कॉलोनिजों में मिडिल स्कूल चलाने के लिए 320 स्क्वायर यार्ड जमीन पर्याप्त है, फिर भी तालिका में बिना सोचे समझे 700 स्क्वायर मीटर क्षेत्र की जरूरत दर्ज कर दी गई जबकि आंकलन की दोनों विधियों के तहत प्राप्त आवश्यक क्षेत्र से यह कहीं भी मेल नहीं खाता है।

निजी स्कूल संचालकों के पास जमीन का अभाव होता है। लेकिन सरकार भी वंचित तबके के छात्रों के लिए और अधिक स्कूल खोलने की स्थिति में नहीं है। इस कारण कक्षा 5वीं और 6वीं कक्षा के लिए आवश्यक सीटों से लगभग 35 हजार सीटों की कमी पैदा हो गई है। इसके साथ ही साथ, यह नीति भी स्पष्ट नहीं है कि प्राइमरी स्कूलों को दूसरी पाली में मिडिल लेवल की कक्षाएं चलाने की अनुमति है अथवा नहीं। कहने का तात्पर्य यह है कि नर्सरी से 5वीं तक चलने वाले प्राइमरी स्कूल दूसरी पाली में 6वीं से 8वीं तक मिडिल क्लास की कक्षाएं चला सकते हैं या नहीं। हालांकि प्राइमरी स्कूलों को दूसरी पाली में प्राइमरी स्तर की कक्षाएं चलाने की अनुमति अवश्य है।

यहां तक कि शिक्षा का अधिकार कानून (आरटीई एक्ट) 2009 भी प्राइमरी और मिडिल स्कूलों के साथ एक समान व्यवहार करता है। यह प्रति कक्षा एक अध्यापक और प्रति अध्यापक 30 बच्चों के प्रावधान को जरूरी बनाता है। आरटीई मिडिल लेवल के स्कूलों के लिए किसी विशेष अथवा अतिरिक्त व्यवस्था की बात नहीं करता है।

29 अप्रैल 2016 को दिए एक आदेश में दिल्ली हाई कोर्ट ने कोआर्डिनेशन कमेटी ऑफ पब्लिक स्कूल्स (सीसीपीएस) द्वारा दायर एक याचिका को खारिज कर दिया था। याचिका के माध्यम से प्राइमरी स्कूलों व मिडिल स्कूलों के लिए बिल्डिंग नॉर्म्स





में भेदभाव को चुनौती दी गई थी। इस मनमानेपन व अनुचित प्रावधान के विरोध में दायर याचिका को खारिज करते हुए कोर्ट ने कहा था कि स्कूलों की ये दोनों श्रेणियां समान नहीं है और इसलिए नीति निर्धारण के दौरान दोनों के लिए अलग अलग नॉर्म्स बनाना उचित है। साथ ही कोर्ट ने मामले में और सुनवाई करने से इंकार करते हुए कहा कि अदालत आम तौर पर नीतिगत फैसलों

के मामलों में हस्तक्षेप नहीं करती। इस मामले में बहस करते हुए सरकारी अधिवक्ता ने कहा कि ऐसा कदम इसलिए उठाया गया है ताकि शिक्षा के व्यवसायीकरण पर रोक लगायी जा सके। यह भयावह है कि किसी भी अनुभवजन्य समर्थन से रहित ऐसे व्यक्तिपरक तर्क का प्रयोग मिडिल स्कूलों के खातों के लिए किया जा रहा है जिसके कारण दिल्ली में 6वीं और 8वीं कक्षा में 35 हजार से अधि

क सीटों की कमी देखने को मिल रही है। कोआर्डिनेशन कमेटी ऑफ पब्लिक स्कूल्स बनाम गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली की पेटेंट अपील पत्र संख्या 528/2016 के माध्यम से सीसीपीएस द्वारा दिल्ली हाईकोर्ट के 29 अप्रैल 2016 के आदेश को चुनौती दी है। इस मामले में पिछली सुनवाई 23 सितंबर 2016 को हुई थी और फैसले को सुरक्षित रखे हुए लगभग छह माह बीत चुके हैं।

किसी शिक्षक का सबसे अच्छा मित्र बनना - लीड स्कूल सॉल्यूशन की कहानी

सुमीत यशपाल मेहता

प्रबंध निदेशक, लीड स्कूल



सिंगापुर में सात वर्ष तक प्रवास करने और प्रॉक्टर एंड गैम्बल लिमिटेड में काम करने के बाद दस साल पहले सन् 2007 में मैं भारत लौट आया। भारत में शिक्षा की तस्वीर बदलने की इच्छा मुझमें बलवती हो रही थी क्योंकि हमारे बच्चों को यहां मिलने वाली शिक्षा की खराब गुणवत्ता से मैं बेहद असंतुष्ट था। शिक्षा के प्रारूप को समझने के लिए मैंने भारत की गिनी चुनी लिस्टेड एजुकेशन कंपनियों में से एक – जी लर्न लिमिटेड के साथ मुख्य कार्यकारी अधिकारी के तौर पर पांच वर्ष तक जुड़ा रहा। इससे मुझे शिक्षा के स्कूल और प्री स्कूल वाले प्रारूप के बारे में विस्तृत समझ प्राप्त करने का अवसर प्राप्त हुआ। मेरी पाठचर्या (करिकुलम) तैयार करने व अध्ययन अध्यापन (पेडागॉजी) कला में गहरी रुचि थी और मैंने अपनी टीम के साथ मिलकर छोटे बच्चों की प्रगति और गणित व विज्ञान पढ़ाने व सीखने के लिए नवाचार (इनोवेटिव) युक्त तरीकों को विकसित किया। पांच वर्ष पूर्व

वर्ष 2012 में मुझे यह अहसास हुआ कि मेरा सारा काम केवल बड़े शहरों व उच्च मध्य वर्ग के अभिभावकों तक ही सीमित रह जाता था। इसलिए मैंने जी लर्न को छोड़ दिया और सह संस्थापिका स्मिता देवड़ा के साथ मिलकर गुजरात के एक गांव में पहली पीढ़ी के शिक्षार्थियों के लिए स्कूल की स्थापना की। हमारा लक्ष्य ऐसे छात्रों की समस्या का समाधान तलाशना था जिनके लिए न तो वहां अच्छी शिक्षा उपलब्ध थी न ही घर पर उन्हें पढ़ाई में सहयोग करने वाला कोई था। हर किसी के द्वारा हमसे जो सबसे पहला प्रश्न किया जाता था वह यह था कि हमें वहां पढ़ाने के लिए शिक्षक कहां से मिलेंगे? हम अपने अध्यापकों को प्रशिक्षित कैसे करेंगे? हम उन्हें अपने साथ रोक कर कैसे रख सकेंगे? सभी लोगों के मन में यह आम धारण थी कि छात्रों के सीखने का सीधा संबंध अध्यापकों द्वारा अपने छात्रों के साथ किए जाने वाले व्यवहार से होता है। यदि शिक्षक कक्षा में अनुपस्थित रहता है तो बिल्कुल

पढ़ाई नहीं हो सकती। यदि शिक्षक उपस्थित रहता है लेकिन कक्षा में पढ़ाता नहीं है तो बहुत थोड़ी पढ़ाई होगी। यदि शिक्षक परंपरागत रट्टा लगवाने वाली पद्धति (अधिकांश शिक्षक इसी वर्ग से आते हैं) से पढ़ाई कराता है तो रटा रटाया ज्ञान मिलेगा। जब शिक्षक अपने स्वयं की सशक्त विषय सामग्री और शिक्षण कौशल का प्रयोग छात्रों को सीखने के उनके स्वयं की प्राथमिकता वाले तरीके जैसे कि श्रव्य, दृश्य अथवा प्रयोगात्मक (कर के सीखना) तरीके से सीखने में सहायता करता है तब जाकर छात्र सुदृढ़ तरीके से शिक्षा ग्रहण कर पाता है। इस प्रकार प्राप्त की गई शिक्षा सदैव याद रहती है और परीक्षा हो जाने के बाद बाहरी दुनिया में इस्तेमाल भी होती है। दुर्भाग्य से ऐसे शिक्षक बेहद कम और गिनी चुनी संख्या में ही उपलब्ध हैं। जब हमने शिक्षकों की भर्ती करनी शुरू की तो हमें भी इस अभाव से दो चार होना पड़ा। बीए, एमए और बीएड जैसे डिग्री धारक अभ्यर्थी हमारे पास पहुंचते तो लेकिन

बहुशकल वे अंग्रेजी के एक वाक्य को भी बोल पाते। सामान्य विज्ञान की अवधारणाएं और गणित विषय के सामान्य सिद्धांत की उनकी समझ भी बेहद कमजोर थी। शिक्षण की उनकी क्षमता किताबों को पढ़ाने और अनुवाद कर छात्रों को समझाने तक ही सीमित थी। अतः हमने भी वहीं काम किया जो अन्य लोग करते हैं - शिक्षकों का प्रशिक्षित करने का काम।

पहले वर्ष हमने उन्हें पाठ्य सामग्री और अध्याय के बाबत प्रशिक्षित किया, हमने उन्हें लक्ष्य निर्धारित करने के बाबत प्रशिक्षण दिया, हमने क्लास रूम (कक्षा) प्रबंधन, विषय ज्ञान, अध्यापक नेतृत्व आदि का भी प्रशिक्षण दिया। अध्यापकों को प्रशिक्षित करने के क्रम में हमें अत्यधिक समय और ऊर्जा खर्च करनी पड़ी। लेकिन प्रशिक्षण सत्र के पश्चात इसे लेकर हमें काफी अच्छा फीडबैक भी प्राप्त हुआ। प्रशिक्षण कार्य के दौरान पूरे समय अध्यापक सक्रिय होकर इससे जुड़े रहे और उन्हें कुछ नया और रोचक सीखने को मिला इस मान्यता के समापन के बाद वे खुशी खुशी लौटे। लेकिन जल्द ही हमें दो और समस्याओं से जूझना पड़ा:

- 1 प्रशिक्षण के बाद क्लासरूम में यह अभ्यास मूर्त होता कम ही दिखा। हमें अध्यापकों पर कड़ी निगरानी रखने की जरूरत थी ताकि यह सुनिश्चित हो सके वे कक्षाओं में ठीक वैसा ही पढ़ा रहे हैं जैसा कि उन्हें प्रशिक्षण दिया गया था। निगरानी रखने के बावजूद बहुत कम अध्यापक अध्याय योजना तैयार कर रहे थे। बहुत कम अध्यापक संसाधनों की तैयारी करते थे और बहुत कम अध्यापक उन गतिविधियों को अंजाम देते थे जो गतिविधियां उन्हें प्रशिक्षण के दौरान सिखाई गई थीं। जब कारणों की पड़ताल की गई तो जिन कारणों को बताया गया उनमें सबसे अधिक बार समय की कमी की बात बताई गई।
- 2 इसके साथ ही अध्यापकों के छोड़कर जाने की उच्च दर के कारण हमेशा नए लोगों को प्रशिक्षित करने की जरूरत बनी रहती थी। इस कारण उपलब्ध संसाधन लगातार कम हो रहे थे। अध्यापिकाओं के छोड़कर जाने के बहुत सारे कारणों में से अध्यापिकाओं के पतियों का शहर छोड़कर दूसरी जगह जाना, अध्यापिकाओं का विवाह होना, गर्भवती होना और कई बार कुछ सौ रुपए अधिक वेतन का मिलना होता था। अध्यापिकाओं के जाने का मतलब उनके साथ उनके प्रशिक्षण में हुए निवेश का जाना भी होता था।

संक्षेप में कहें तो, शिक्षकों को प्रशिक्षित करने का काम दीर्घकालीन और प्रभावी रणनीति नहीं था। हमारा विचार एक मानक मापदंड तय करने और इसे सभी स्कूलों में लागू करने का था लेकिन ऐसे वाक्यों के बाद हमें नए दृष्टिकोण से सोचने की जरूरत थी।

काफी सोच विचार करने के बाद हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि हम अपने शिक्षकों से काफी ज्यादा अपेक्षा कर रहे थे। हम उनसे विशेषीकृत अवधारणाओं, ब्लूम के वर्गीकरण, विविध बुद्धिमत्ता और छात्र केंद्रीत सीख को समझने की उम्मीद कर रहे थे। हम उनसे उनकी कक्षा से पहले बढ़िया अध्याय योजना और संसाधनों की तैयारी की उम्मीद कर रहे थे। हम उनसे छात्रों के रिजल्ट का विप्लेशन करने और सुधारात्मक कदम उठाने की उम्मीद कर रहे थे। हम उनसे ऐसी अपेक्षा छात्रों की उपस्थिति, डायरियां लिखने, नोटबुक चेक करने और रजिस्टर भरने के काम के अतिरिक्त कर रहे थे। ऐसा उन स्कूलों में तो संभव है जहां अध्यापकों के पास गैर शैक्षणिक कार्यों के लिए पर्याप्त समय होता है, जहां अध्यापक अत्यधिक अभिप्रेरित व सक्षम होते हैं और जहां कक्षा में अध्यापक व छात्रों की संख्या का अनुपात कम होने के कारण उनका भार कम होता है, जबकि अधिकांश स्कूलों में अध्यापकों के पास ऐसा करने का न तो समय होता है न उद्देश्य और न ही यह सब करने की क्षमता होती है। संक्षेप में कहें तो मरणाधीन व्यक्ति से चमत्कार की उम्मीद कर रहे थे। उत्कृष्ट शिक्षा प्रदान करना बहुत कठिन कार्य था, क्योंकि ऐसा करने के लिए अध्यापक को बहुत अधिक काम करना पड़ता है। शिक्षिकाएं प्रायः अपने काम के बोझ को कम करने के लिए किताबों की पाठ्य सामग्री का रद्द लगवाने जैसे उपायों का रास्ता अपना लेती थीं। हमें कुछ ऐसा काम करने की जरूरत थी जिससे अध्यापक उत्कृष्ट शिक्षण का कार्य आसानी पूर्वक कर सकें। कैसा हो यदि समस्त अध्यापन कला से संबंधित अभ्यास कार्य एक अध्याय योजना में शामिल कर अध्यापकों को उपलब्ध करा दिया जाए? कैसा हो यदि अध्यापकों की जरूरत के सभी संसाधन पहले से डिजाइन कर उन्हें उपलब्ध करा दिए जाए? यदि अध्यापन का काम आसान हो जाए तो अध्यापक खराब अध्यापन क्यों करेगा? ऐसे खाकों में खींचे गए प्रश्नों के कारण ही हम 'लीड' स्कूल सॉल्यूशन विकसित कर सकें। हमने टीचर ऐप नामक ऐप डिजाइन किया जो हाथ में समा सकने वाली (हैंड हेल्ड) मशीन के माध्यम से एक्सेस किया जा सकता था। इस ऐप में हमने पाठ्यचर्या (करिकुलम) में समाहित विस्तृत पाठ्य सामग्री सम्मिलित कर दी। शिक्षिकाओं ने इस बाबत फीडबैक देते हुए इस योजना को शानदार तो बताया लेकिन उनका यह भी कहना था कि योजना को मूर्त रूप देने के लिए संसाधन तलाशने और इकट्ठा करने में उन्हें बहुत समय बिताना पड़ता है। उसके बाद उन्हें सामग्री (डेटा) को कंप्यूटर अथवा प्रोजेक्टर में ट्रांसफर करने के लिए पेन ड्राइव्स की आवश्यकता पड़ती थी। इससे मनमुटाव की सी स्थिति पैदा होने लगी जिससे योजना का पालन कम होने लगे। इसलिए

अध्यापिकाओं के छोड़कर जाने के बहुत सारे कारणों में से अध्यापिकाओं के पतियों का शहर छोड़कर दूसरी जगह जाना, अध्यापिकाओं का विवाह होना, गर्भवती होना और कई बार कुछ सौ रुपए अधिक वेतन का मिलना होता था। अध्यापिकाओं के जाने का मतलब उनके साथ उनके प्रशिक्षण में हुए निवेश का जाना भी होता था।



हमने अब टीचर ऐप को अपग्रेड किया और सभी श्रव्य दृश्य (ऑडियो विजुअल) सामग्री को उसी में समाहित कर दिया। साथ ही हमने सभी आवश्यक भौतिक संसाधनों से युक्त एक स्कूल किट डिजाइन किया और इसे शिक्षकों को भेजा ताकि इसके लिए उन्हें खोजबीन और अलग से तैयारी करने की जरूरत न पड़े।

और चूंकि राष्ट्रीय प्रकाशकों की किताबें हमारे छात्रों के लिए उपयुक्त नहीं थीं, इसलिए हमने एनसीईआरटी के खाकें को ध्यान में रखते हुए अपने स्वयं के पाठ्य और कार्य पुस्तकों (वर्कबुक) को तैयार किया। इस काम में हमें 3 साल लग गए लेकिन अंततः, लीड स्कूल सॉल्युशन ने शिक्षकों के लिए उत्कृष्ट शिक्षण का कार्य करना सरल बना ही दिया। अब शिक्षकों को और अड़िाक की चाहत होने लगी थी क्योंकि उन्होंने प्रौद्योगिकी और केंद्रीकृत डिजाइन के फायदों को देख लिया था। पुनः आगे मिली प्रतिक्रिया (फीडबैक) के आधार पर, हमने ऐप के माध्यम से डेटा के मूल्यांकन कार्य कैप्चर किया और ऐप के जरिए इसकी समीक्षा करते हुए डेटा के आधार पर किए जाने वाले उपचारात्मक योजनाएं तैयार की।

अब विस्तृत गणना के लिए माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की सहायता लेने की कोई जरूरत नहीं थी! हमने लीड टीचर ऐप में अध्यापकों की उपस्थिति का डेटा कैप्चर करने के फीचर को भी सक्रिय कर दिया जिससे अब अलग रजिस्ट्रों को बनाए रखने की कोई जरूरत नहीं थी! और अंत में, माता-पिता को समान

साझेदारों के रूप में शामिल करने के लिए, हमने एक लीड पेरेंट ऐप भी विकसित किया। संदेशों के सभी आदान प्रदान और सूचनाएं अब डिजिटल रूप से भेजी जा सकती हैं। शिक्षकों को अब 35 डायरी भरने की कोई जरूरत नहीं है! धीरे-धीरे, 4 वर्षों में, हमने एक लीड स्कूल सॉल्युशन तैयार किया जो व्यापक और सभी हितधारकों के लिए तैयार था। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इसने शिक्षकों के कार्य को आसान बनाया और उन्हें अपने मुख्य काम – उत्कृष्ट शिक्षण, पर ध्यान देने की आजादी दी!

इस पहल के परिणाम आश्चर्यजनक थे! वहीं स्थानीय शिक्षक जो पहले व्याख्यान विधि (लेक्चर मेथड) से रट्टा मारने वाली पढ़ाई करा रहे थे, लीड ऐप का प्रयोग कर बेहतर शिक्षक बन गए।

छात्रों के सीखने की क्षमता में भी सुधार हुआ। हमारे स्कूलों के छात्रों ने अंग्रेजी साक्षरता के क्षेत्र सिर्फ एक साल में 1.6 साल में हासिल की जाने वाली वृद्धि प्राप्त कर दिखाई। गणित में, क्लास की औसत प्रगति एक वर्ष में 51% से बढ़कर 63% हो गई है। इन सबके बावत शिक्षिकाओं की टिप्पणी थी कि उत्कृष्ट तरीके से सिखाने का काम कितना आसान हो गया?

उनकी कक्षाएं अब बहुत अधिक संलग्न (इंगेज्ड) हो गई थीं और वे अपने छात्रों को सीखता देख बहुत खुश थीं। स्कूलों के पास भी पहले से बेहतर डेटा था। वे देख सकते हैं कि कौन सा क्लास अच्छा कर रहा था

और छात्रों के परिणामों (रिजल्ट) के आधार पर कौन सी शिक्षिका अच्छी तरह से शिक्षण कर रही थी। इसके बाद हमारा कुछ प्रशिक्षण कार्य उन शिक्षिकाओं पर केंद्रीत हो गया जिनके छात्रों के परिणाम ठीक नहीं थे और जिन क्षेत्रों में उन्हें सहायता की आवश्यकता थी। माता-पिता खुश थे क्योंकि उन्हें अब नियमित नोटिफिकेशन के माध्यम से पता चल जाता था कि उनके बच्चे क्या सीख रहे थे। स्कूल प्रणाली में समग्र सुधार हुआ।

इसके पश्चात हमने और अधिक लीड स्कूल्स खोले और वहां भी लीड स्कूल सॉल्युशन लागू किया। हमने कुछ सहयोगी स्कूलों को भी यह सेवा दी ताकि उनके परिणाम भी देख सकें। हमारे और सहयोगी स्कूलों दोनों में बच्चों के सीखने और शिक्षकों के संतुष्टि हमारे पहले स्कूल के जैसे ही अच्छी थी। इन परिणामों ने हमें यह भरोसा दिलाया कि यदि शिक्षकों को सही उपकरण और सही समाधानों के साथ शसक्त बनाया जाए तो वे अपने छात्रों के साथ चमत्कार कर सकते हैं। अब हम दिल्ली के सरकारी स्कूलों व महाराष्ट्र, गुजरात व अन्य राज्यों के बजट स्कूलों में छात्रों के सीखने के स्तर को सुधारने के लिए लीड स्कूल सॉल्युशन लागू कर रहे हैं। हमारा उद्देश्य सभी बच्चों को उत्कृष्ट शिक्षा प्रदान कराना है और हम उत्सुकता पूर्वक समान सोच वाले शिक्षाविदों और स्कूल लीडर्स की तलाश कर रहे हैं ताकि इस उद्देश्य में सहयोगी बन सकें।





एड. प्रशांत नारंग
विधि विशेषज्ञ

प्रश्न शीर्षक: सामान्य वर्ग (ओपन कैटेगरी) में आवेदन किया तो बच्चे को नहीं दे रहे दाखिला

प्र: हमने अपने बच्चे का चेम्बूर स्थित 'जनरल एजुकेशन एकेडमी' स्कूल में नर्सरी कक्षा में दाखिला कराने के लिए आवेदन किया है। हम हिंदू मोची हैं और चूंकि हम अपने बच्चे के शिक्षा के मद में होने वाले खर्च को वहन करने में सक्षम हैं इसलिए हम दाखिला सामान्य वर्ग (ओपन कैटेगरी) में कराना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि निशुल्क शिक्षा का फायदा किसी वास्तविक जरूरतमंद को मिल सके। लेकिन अब यह कह कर हमें दाखिला देने से मना कर रहा है कि आरक्षित वर्ग के छात्र को सामान्य वर्ग के तहत दाखिला नहीं दिया जा सकता है। धन्यवाद

जयराज | jairajkurdia87@gamil.com

उ: यह सही है कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम (आरटीई एक्ट) प्रवेश स्तर पर कक्षा की 25 प्रतिशत सीटों को आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग व वंचित तबके से संबंध रखने वाले छात्रों के लिए आरक्षित रखने का प्रावधान करता है। लेकिन यह अधिनियम आरक्षित वर्ग के किसी छात्र को सामान्य वर्ग में दाखिला लेने से नहीं रोकता है। ऐसा करना गैर कानूनी है। आप स्कूल को धारा 12 (1) सी के तहत किसी वैधानिक सुविधा का लाभ लेने से मना करने के अधिकार पर जोर देते हुए समुचित उपाय के लिए न्यायिक मंच से संपर्क करने के अपने अधिकार के बारे में लिखित तौर पर सूचित करें।

शिकायत शीर्षक: छात्र भानाजे सोहम राजेंद्र (17AH002132) को आरटीई के तहत आरक्षित 25 प्रतिशत सीटों के अंतर्गत दाखिले के लिए धानुकर इंग्लिश मीडियम प्राइमरी स्कूल तिलकनगर (27261004309) आवंटित किया गया। लेकिन स्कूल प्रशासन अभिभावकों से दाखिला शुल्क व अन्य शुल्कों की मांग कर रहा है।

प्र: छात्र भानाजी सोहम राजेंद्र (17AH002132) को आरटीई के तहत आरक्षित 25 प्रतिशत सीटों के अंतर्गत दाखिले के लिए धानुकर इंग्लिश मीडियम प्राइमरी स्कूल तिलकनगर (27261004309) आवंटित किया गया। लेकिन स्कूल प्रशासन अभिभावकों से दाखिला शुल्क व अन्य शुल्कों की मांग कर रहा है। साथ ही परिवहन शुल्क (बस फीस) की भी मांग की जा रही है जबकि स्कूल से हमारे घर की दूरी 3 किमी से भी कम है। स्कूल बैंक खाते में राशि जमा कराने की पावती रसीद भी प्रदान करता है जिस पर यह लिखा होता है कि अभिभावक उक्त राशि को जमा करा दें अन्यथा उनका दाखिला निरस्त कर दिया जाएगा। स्कूल ने वैसा ही विवरण (स्टेटमेंट) निम्न वर्णित छात्र पवार अथर्व (17AH002255), जाधव हर्शल (17AH004346) आदि को भी दिया गया है जिनका दाखिला आरटीई एक्ट के तहत आरक्षित सीटों पर हुआ है। अंत में स्कूल का दाखिले की जिम्मेदारी संभालने वाले व्यक्ति ने कहा कि आप जिस भी आरटीई अधिकारी से चाहें बात कर सकते हैं लेकिन हम इस राशि के भुगतान के बगैर दाखिला नहीं देते हैं। धन्यवाद

भानाजी राजेंद्र जबाजी | rakesha.raje@gmail.com

उ: शिक्षा का अधिकार अधिनियम की धारा 12 (1) (सी) के तहत दाखिला प्राप्त

किए हुए छात्रों से कोई भी स्कूल किसी प्रकार का ट्यूशन फीस अथवा दाखिला फीस नहीं वसूल सकता है। परिवहन शुल्क के संदर्भ में कृपया राज्य के नियम व उच्च न्यायालय के फैसले (यदि कोई हो) को देखें।

प्रश्न शीर्षक: अनुमति प्राप्त छुट्टियों की संख्या

प्र: मेरा बेटा शैक्षणिक सत्र 2017-18 में जेबीसीएन- परेल स्कूल में पहली कक्षा में प्रवेश करने वाला है। उनके अवकाश सूची के मुताबिक उन्हें कुल 178 छुट्टियां दी गई हैं और कार्य दिवसों की संख्या 187 हैं। मैं यह जानना चाहता हूँ कि कार्य दिवसों की न्यूनतम संख्या क्या है जिसका पालन करना स्कूलों के लिए आवश्यक है। क्योंकि हम फीस के रूप में बड़ी राशि क्या केवल 187 वर्किंग दिवसों के लिए चुका रहे हैं?

ईशिता गाला | ekhandhar84@gmail.com

उ: आरटीई एक्ट की सारणी के मुताबिक कक्षा 1 से कक्षा 5 तक के स्कूलों में एक शैक्षणिक वर्ष में कार्य दिवसों की संख्या न्यूनतम 200 से कम नहीं होनी चाहिए। आप इस बाबत राज्य शिक्षा विभाग व राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग (एससीपीसीआर) को पत्र लिख कर अवगत करा सकते हैं।

प्र: क्या आरटीई अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थाओं पर भी लागू होता है?

सिख नेशनल हाई स्कूल | snhs1946@gmail.com

उ: 25 प्रतिशत कोटा का प्रावधान अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थानों पर निश्चित तौर पर लागू नहीं होते यहां तक कि उनके एडेड (सहायता प्राप्त) स्कूल होने पर भी। अन्य प्रावधानों के लिए आपको राज्य के उच्च न्यायालय के आदेशों की जांच करनी चाहिए।

प्र: बिहार में मैं अपने ग्री स्कूल का पंजीकरण कैसे कराऊं?

विवेक यादव | vivekca.raj773@gmail.com

उ: अधिकांश राज्यों में ग्री स्कूलों को लेकर कोई नियमन नहीं है। अपने ग्री स्कूल के पंजीकरण के लिए कृपया राज्य शिक्षा विभाग से संपर्क करें।

प्रश्न शीर्षक: आरटीई 25 प्रतिशत आरक्षण कोटा

प्र: 1 लाख तक की आय वाला आय प्रमाण पत्र ही क्यों?

यदि सरकार द्वारा कर रहित आय की सीमा ढाई लाख से 3 लाख रूपए निर्धारित की गई है फिर आरटीई के तहत मिलने वाले 25 प्रतिशत आरक्षण की सुविधा हासिल करने के लिए 1 लाख तक की आय के लिए आय प्रमाण पत्र जारी करने की शर्त क्यों? यदि यह गलत है तो नयी अधिसूचना जारी कीजिए।

इसका मतलब सरकार नहीं चाहती कि मध्य वर्ग के परिवार के बच्चे अच्छी शिक्षा प्राप्त करें। कृपया स्पष्ट करें।

सदानंद | shisode13@gmail.com

उ: आरटीई एक्ट की धारा 12 (1) (सी) जो कि प्राइवेट गैर अल्पसंख्यक स्कूलों की 25 प्रतिशत सीटों को आरक्षित करता है और उनके ऐवज में प्रतिपूर्ति का प्रावधान करता है; के तहत दाखिले की योग्यता हेतु मानदंड का निर्धारण राज्य सरकारें अथवा राज्य शिक्षा विभागें करती हैं। इसका उद्देश्य केवल आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग व अन्य वंचित तबकों को लाभ पहुंचाना है। आप सामान्य वर्ग (ओपन कैटेगरी) की सीटों के लिए आवेदन कर सकते हैं।

इस स्तंभ में आरटीई और बजट प्राइवेट स्कूलों से संबंधी आपके सभी प्रश्नों के उत्तर मिलेंगे। स्कूल प्रशासक, संचालक या फिर बच्चों के माता पिता सभी इसका लाभ ले सकते हैं। सेंटर फॉर सिविल सोसायटी आरटीई पर निःशुल्क कानूनी सलाह और परामर्श देता है।

हमारे सलाहकार एड. प्रशांत नारंग कानूनी विशेषज्ञ हैं। आप अपने प्रश्नों के जवाब nisa@ccs.in पर मेल कर प्राप्त कर सकते हैं। प्रश्न बिल्कुल संक्षिप्त, स्पष्ट और विषय केंद्रित होने चाहिए। सबजेक्ट लाइन में 'कानूनी दायरें: निसा पूछताछ' अवश्य लिखें

Will you help me achieve my dreams?

We are looking for motivated partners to transform government schools into centers of excellence.

The partnership has strong support from South Delhi Municipal Corporation and philanthropists.

*"It's a very rewarding partnership,
with potential for great impact."*

Ashok Kumar Thakur, Muni International School
(Partner in 3 schools in South Delhi)



28 schools **12** partners **5000** students

For further details, contact Kanchan Lall



info@theeducationalliance.org



+91 98180 20998 / +91 11 49125907

www.theeducationalliance.org

ANNOUNCING SCNC 2017

9th SCHOOL CHOICE NATIONAL CONFERENCE NEW DELHI

An Initiative of



CENTRE FOR CIVIL SOCIETY
Social Change Through Public Policy

In partnership with



National Independent Schools Alliance

Hindi social media partner



www.azadi.me

With support from



AN EdelGive INITIATIVE

GRAYMATTERS
CAPITAL



NISA MEMBERSHIP FORM

BENEFITS TO THE ASSOCIATIONS

- ▶▶ Joining an alliance that provides a national voice, advocating for the interest of budget private schools
- ▶▶ Opportunity to spread awareness about the need for associations
- ▶▶ Reputation-building for the association at a national and international level
- ▶▶ Exposure and opportunities to learn from the best practices of other member associations from different states
- ▶▶ Latest information about education developments, new legislations, policies, regulations, amendments and related issues
- ▶▶ Direct contact with colleagues across the country and throughout the nation - an open gateway to people and resources that help make schools even better
- ▶▶ Through a nationwide advocacy campaign, access to legal aid to protect interests of associations
- ▶▶ Representation on a national citizenry platform that advocates for fewer regulations and greater transparency from the government, media, academics and international organizations
- ▶▶ Updates on important cases from alliance officers and staff who attend meetings with governments

NISA MEMBERSHIP FORM FOR ASSOCIATION

Name of Association:

Name of President/Head of the Association:

Phone Number: E-mail ID:

Postal Address of Association/ Head of the Association (Whichever is applicable):

Website:

Yes, I wish to be a member of National Independent Schools Alliance (NISA)

Fill in the above form and send it to NISA Secretariat, A-69, Hauz Khas, New Delhi- 110016

For more information, call: +91 9899485667; 011 2653 7456 E-mail: nisa@ccs.in Website: www.nisaindia.org



NISA NAMASKAR SUBSCRIPTION FORM

SUBSCRIPTION FORM FOR NISA NAMASKAR

Please complete the form below and send it to: NISA Secretariat, A-69, Hauz Khas, New Delhi- 110016

Name:

Phone Number: Email ID:

Address:

Pin Code: Country:

Occupation:

Mode of Payment: Cash: ☐ Cheque: ☐ Net Banking: ☐

For net banking, transfer the amount at : A/C No.- 412102010057920

Union Bank of India, Nehru Place, New Delhi-110019

IFSC Code: UBIN0541214

Yearly Subscription Amount: INR 500

For payment via cheque, please enclose cheque/DD in favour of NISA Education, payable at Delhi for INR 500

For further queries, subscription or advertisement related, contact: nisa@ccs.in; 91 9899485667; 011 2653 7456